सूचना
यदी आप को नियमित दैनिक सुफ्फा का अंक प्राप्त नही हो रहा है या फिर आप दैनिक सुफ्फा हासिल करना चाहते है तो इस नम्बर पर संपर्क करे- 7620469536
औरंगज़ेब हुसैन (कार्यकारी संपादक)

epaper:suffahdailynews.com

दैनिक
सुफ्फा
आम आदमी की आवाज़..।
मुख्य संपादकः सज्जाद हुसैन अल्ताफ हुसैन
R.N.I. MAHHIN/2017/70719

Email:suffaakl@gmail.com ■ साल ९ वा ■ अंक २८९ ■ शनिवार १३ दिसंबर २०२५ ■ अकोला ■ पृष्ठ ८ ■ मूल्य ३ रूपये

एक नजर

पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन, लातूर में ली अंतिम सांस

मुंबई-
देश के पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल चाकुरकर का ९१ साल की उम्र निधन हो गया है. लंबी बीमारी के बाद उन्होंने अपने निवास पर ही अंतिम सांस ली है. उन्होंने केंद्र सरकार में कई बड़े पदों पर काम किया है. वे लाथूर लोकसभा सीट से ७ बार सांसद चुनकर आए थे. उनके निधन पर पार्टी ने दुख व्यक्त किया है.शिवराज पाटिल की उम्र करीब ९१ साल की थी. हालांकि वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे. सुबह करीब ६:३० बजे लातूर में अपने घर देवघर में आखिरी सांस ली है. बीमारी के कारण घर पर ही उनका इलाज चल रहा था. शिवराज पाटिल चाकुरकर लोकसभा के स्पीकर थे और उन्होंने कई केंद्रीय मंत्री पदों पर काम किया है.शिवराज पाटिल लातूर के चाकुर से एक प्रभावशाली कांग्रेस नेता थे और लातूर लोकसभा क्षेत्र से सात बार जीते थे. २००४ में लोकसभा में हारने के बाद भी उन्होंने राज्यसभा से गृह मंत्री का पद और केंद्रीय में जिम्मेदारियां संभाली थीं. कांग्रेस और उसके सभी कार्यकर्ताओं ने उनके निधन पर दुख जताया है. इसके साथ ही उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं.साल २००८ में मुंबई में आतंकी हमला हुआ था. उस (शेष पृष्ठ ७ पर)

प्रदूषण पर ध्यान देने की जरुरत, सरकार को तैयार करना होगा प्लान, लोकसभा में बोले राहुल गांधी

लोकसभा में बोले- बच्चों का भविष्य खतरे में, बीमारियों से संघर्ष..

नई दिल्ली-
दिल्ली-एनसीआर समेत देश कई बड़े शहरों में प्रदूषण का मामला संसद में आज शुक्रवार को उठा. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हमारे ज्यादातर बड़े शहर जहरीली हवा की चादर में जी रहे हैं. बच्चों और बुजुर्गों को दिक्कत हो रही है. वायु प्रदूषण हर किसी को नुकसान पहुंचा रहा है. उन्होंने सरकार से कहा कि वायु प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए प्लान बनाया जाए. हम सब इसके लिए मिलकर काम करने के तैयार हैं. सरकार की ओर से कहा गया कि हम समाधान निकालने के लिए तैयार हैं.लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जानलेवा हो चुके वायु प्रदूषण को लेकर कहा, 'हमारे ज्यादातर बड़े शहर जहरीली हवा की चादर में जी रहे हैं. लाखों बच्चों को फेफड़ों की बीमारी हो रही है. उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है. लोगों को कैंसर हो रहा है. बुजुर्गों को सांस लेने में खासी दिक्कत हो रही है.'उन्होंने आगे कहा, 'यह एक दिलचस्प मुद्दा है क्योंकि मुझे यकीन है कि इस मसले पर केंद्र सरकार और हमारे बीच पूरी सहमति होगी. यह किसी सोच का मुद्दा नहीं है. इस सदन में हर कोई इस बात से सहमत होगा कि वायु प्रदूषण, जो हमारे लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, वह कुछ ऐसा है जिस पर हम सब मिलकर सहयोग करना चाहेंगे. प्रदूषण पर ध्यान देने की जरुरत है.' वायु प्रदूषण को लेकर खास प्लान बनाने की बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, 'अब यह जरूरी हो गया है कि सरकार हमारे शहरों में वायु प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए एक प्लान बनाए. हम ऐसा प्लान बनाने में सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं.(शेष पृष्ठ ७ पर)

प्रदूषण पर सरकार और हमारे बीच पूरी सहमति होगी: राहुल

राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि हमारे अधिकांश प्रमुख शहर जहरीली हवा की चादर में लिपटे हुए हैं। लाखों बच्चे फेफड़ों की बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। लोगों को कैंसर हो रहा है। बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि इस मुद्दे पर मुझे यकीन है कि सरकार और हमारे बीच पूरी सहमति होगी। यह कोई सोच का मुद्दा नहीं है। इस सदन में हर कोई इस बात से सहमत होगा कि वायु प्रदूषण, और इससे हमारे लोगों को हो रहे नुकसान, एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम सहयोग करना चाहेंगे।'राहुल गांधी ने अपने बयान में आगे कहा, 'मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम चर्चा को इस तरह से आगे बढ़ाएं कि हम यह न कहें कि आपने क्या नहीं किया और आप यह न कहें कि हमने क्या नहीं किया, बल्कि सीधे इस बात पर ध्यान दें कि हम भविष्य में भारत की जनता के लिए क्या करने जा रहे हैं, हमें कौन से कदम उठाने होंगे। इसलिए, मेरा मानना है कि यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या हम एक-दूसरे पर दोषारोपण करने के बजाय, इस एक मुद्दे पर, जिस पर हम सहमत हैं, कोई असहमति नहीं है, यह कहने का प्रयास कर सकते हैं कि, चलिए, भारत(शेष पृष्ठ ७ पर)

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने साढ़े पांच साल में ६.१५ लाख करोड़ रुपये के क़र्ज़ माफ़ किए

नई दिल्ली-
केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार (८ दिसंबर) को लोकसभा में बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने पिछले साढ़े पांच वर्ष के दौरान कुल ६.१५ लाख करोड़ रुपये का ऋण माफ किया है.रिपोर्ट के मुताबिक, लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान डूबे हुए ऋणों (बैड लोन) से संबंधित एक सवाल के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, 'भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार पीएसबी ने पिछले पांच वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष में ३० सितंबर, २०२५ तक कुल ६,१५,६४७ करोड़ रुपये का ऋण माफ किया है.' इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अप्रैल २०२२ से सितंबर २०२५ के बीच इक्विटी और बॉन्ड के माध्यम से बाजार से कुल १.७९ लाख करोड़ रुपये की पूंजी जुटाई है.अपने जवाब में राज्य मंत्री ने कहा, 'वित्त वर्ष २०२२-२३ से सरकार द्वारा पीएसबी में कोई पूंजी निवेश नहीं किया गया है. पीएसबी ने अपने वित्तीय प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार किया है, लाभ कमाया है और अपनी पूंजी स्थिति को मजबूत किया है.'उन्होंने आगे कहा कि पीएसबी अब अपनी पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजार स्रोतों और आंतरिक कमाई पर निर्भर हैं. पीएसबी ने १.४.२०२२ से ३०.९.२०२५ तक इक्विटी और बॉन्ड के माध्यम से बाजार से १.७९ लाख करोड़ रुपये की पूंजी जुटाई है.ज्ञात हो कि इस वर्ष की शुरुआत में आरबीआई ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के फंसे हुए कर्जों को लेकर मसौदा दिशानिर्देश जारी किए थे.इन दिशानिर्देशों में बैंकों को डूबे हुए ऋणों को बिक्री योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित कर निवेशकों को बेचने का प्रस्ताव दिया गया था. इसका उद्देश्य बैलेंस शीट पर दबाव कम करके, एआरसी (वो वित्तीय संस्थान, जो फंसे हुए ऋण से जुड़ी प्रतिभूतियों को खरीदते हैं), आईबीसी और एनसीएलटी जैसी मौजूदा व्यवस्थाओं के पूरक के रूप में बाजार-आधारित समाधानों को बढ़ावा देकर भारत के डूबे हुए ऋण के संकट को कम करना था.चौधरी ने आगे कहा (शेष पृष्ठ ७ पर)

'घर आओ शादी की बात करनी है', बीटेक छात्र को बुलाया, प्रेमिका के माता-पिता ने पीट-पीटकर कर दी हत्या

नई दिल्ली-
तेलंगाना के संगारेड्डी जिले से हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक इंजीनियरिंग छात्र को उसके प्रेमिका के माता-पिता ने पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है. घटना बाद से ही मृतक के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. इलाके में भी घटना को लेकर काफी गुस्सा है.मृतक छात्र की पहचान ज्योति श्रवण साई के तौर पर हुई है. वह संगारेड्डी जिले के मैसमगुडा स्थित सेंट पीटर इंजीनियरिंग कॉलेज में बी.टेक सेकंड ईयर का छात्र था. वह कुतुबुल्लापुर में किराए के मकान में रहता था. श्रवण बीरमगुडा के

इसुकाबवी की रहने वाली १९ साल के श्रीजला के साथ प्रेम संबंध था. श्रीजला का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था. उन्होंने कई बार श्रवण को उनकी बेटी से दूर रहने की सलाह देते हुए चेतावनी दी थी. घटना वाले दिन, श्रीजला के माता-पिता ने श्रवण को शादी की बात करने के लिए घर बुलाया. उसके घर आते ही श्रीजला की मां और पिता ने साई पर हमला कर दिया. इस दौरान क्रिकेट बैट से पीट-पीटकर परिवार ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. उसे सिर में चोटें आईं, पैरों और पसलियों में फ्रैक्चर भी हो गए. घटना के बाद उसे कुकाटपल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में (शेष पृष्ठ ७ पर)

कार्तिगई दीपम को लेकर लोकसभा में हंगामा, अनुराग ठाकुर के आरोप पर भड़के DMK सांसद

नई दिल्ली-
भारतीय जनता पार्टी सांसद अनुराग ठाकुर ने आज शुक्रवार को लोकसभा में तमिलनाडु के कार्तिगई दीपम का मामला उठाया और राज्य की डीएमके सरकार पर मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच के आदेश की अवमानना करने का आरोप लगाया, जिसका सदन में मौजूद डीएमके सांसदों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया. इस बीच हंगामे की स्थिति बन गई और सदन की कार्यवाही स्थगित (२ बजे तक) करनी पड़ी.हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने सदन में शून्यकाल के दौरान यह मामला उठाया और दावा किया कि डीएमके सरकार तमिलनाडु में सनातन के प्रति विरोध का प्रतीक बन गया है. उन्होंने कहा, 'मदुरै बेंच ने इस मामले पर तमिलनाडु सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और कहा कि उसके आदेश की उपेक्षा की जा रही है.'बीजेपी सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि हिंदुओं पर लाठीचार्ज किया गया और कोर्ट के आदेश के बाद भी दीप प्रज्वलित नहीं करने दिया जा रहा. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दावा करते हुए कहा कि वहां आदेश की अवहेलना की गई और यह कोर्ट की अवमानना है. अनुराग ठाकुर के इस आरोप पर डीएमके सांसदों ने कड़ा विरोध किया और आसन के करीब पहुंच गए. हंगामे को देखते हुए पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने दोपहर एक बजे सदन की (शेष पृष्ठ ७ पर)

कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट पर ED का शिकंजा, २५ ठिकानों पर छापेमारी

मुंबई -
कफ़ सिरप तस्करी सिंडिकेट में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. सिंडिकेट से जुड़े आरोपियों के २५ ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की है. ये छापेमारी लखनऊ, वाराणसी, रांची, अहमदाबाद, जौनपुर और सहारनपुर में हुई है. बता दें, लखनऊ में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की कोठी पर ईडी ने रेड मारी है.इससे पहले मंगलवार को कोडीन कफ सिरप तस्करी के मामले में आरोपी बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और अमित टाटा को कड़ी सुरक्षा में सीजेएम कोर्ट में पेश

किया गया था. लेकिन वकीलों के हंगामे की वजह से अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी. कोर्ट अब जमानत अर्जी पर २२ दिसंबर को सुनवाई करेगी.कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क है, जो कोडीन युक्त कफ सिरप को अवैध रूप से बांग्लादेश और नेपाल भेजकर नशे के रूप में बेचता है. यह मामला मध्य प्रदेश में बच्चों की मौतों से शुरू होकर उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक फैला है. २०२५ में मध्य प्रदेश के गुना, विदिशा में कोडीन सिरप से कई बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद जांच शुरू हुई और इस नेटवर्क का खुलासा हुआ. इसके मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल दुबई फरार है, वहीं दूसरे आरोपी अमित सिंह टाटा और आलोक सिंह को पुलिस ने (शेष पृष्ठ ७ पर)

मनरेगा योजना का नाम बदल सकती है मोदी सरकार, कैबिनेट बैठक में होगा फैसला

नई दिल्ली-
केंद्र की मोदी सरकार मनरेगा का नाम बदलने पर विचार कर रही है. इस फैसले पर आज कैबिनेट बैठक में मुहर लग सकती है. ऐसा मजा रहा है कि सरकार मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण योजना कर सकती है. आज ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है, इसी में फैसला लिया जा सकता है.मनरेगा योजना को साल २००५ में तत्कालीन मनमोहन सरकार ने शुरुआत की थी. शुरु में इसका नाम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, बाद में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट

किया गया था.ये योजना एक इंडियन लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी उपाय है जिसका मकसद 'काम करने के अधिकार' की गारंटी देना है. साल २००५ से अब तक इस योजना में १५.४ करोड़ लोग एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं. मनरेगा योजना के तहत लोगों को साल के (शेष पृष्ठ ७ पर)

महाराष्ट्र की राजनीति में बन रही नई केमिस्ट्री, बीजेपी-शिंदे V/S शरद-अजित, क्या इस बार बदलेगा समीकरण?

मुंबई-
महाराष्ट्र में चुनावी बयार बहने से पहले ही राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ चुका है. राज्य की राजनीति इस समय दो बड़े मोर्चों पर करवट ले रही है. इनमें पहला मोर्चा, बीजेपी और शिंदे सेना के बीच कम होती कड़वाहट, बढ़ती नजदीकियां, और दूसरा मोर्चा, चाचा-भतीजा की फिर से बनती केमिस्ट्री है.दो दिन पहले नागपुर में एक बंद कमरे में सीएम देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की एक घंटे लंबी मीटिंग हुई थी. इसी मीटिंग में २९ महानगरपालिकाओं में एक साथ चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हुआ.

अब इसी राजनीतिक मेलमिलाप को आगे बढ़ाते हुए, आज रात ९ बजे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण, शिवसेना प्रमुख और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर रहे हैं. इस बैठक का एजेंडा- मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई नगर निगम चुनावों में गठबंधन को अंतिम रूप देना है.नवी मुंबई को एकनाथ शिंदे अपना राजनीतिक गढ़ मानते हैं. यह ठाणे से सटा हुआ शहर है. तो वहीं भाजपा के दिग्गज कैबिनेट मंत्री गणेश नाइक और विधायक मंदा म्हात्रे का भी यहां मजबूत जनाधार है. ऐसे में गठबंधन का फॉर्मूला तय करना आसान नहीं, लेकिन बेहद जरूरी है. उधर, गुरुवार को फडणवीस के निर्देश पर चव्हाण और शिंदे की भी एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है. दिल्ली में चव्हाण की अमित शाह से मुलाकात ने संकेत दे दिए हैं कि दिल्ली का भी हरी झंडीसिग्नल गठबंधन के पक्ष में है.गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद फडणवीस और शिंदे के बीच सुलह होने की बात सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि शाह के हस्तक्षेप के बाद ही शिंदे-फडणवीस के बीच चल रहा शीतयुद्ध थमा है और अब दोनों पक्ष पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुके हैं. दूसरी तरफ, महाराष्ट्र की राजनीति का दूसरा बड़ा प्लॉट तैयार हो रहा है. यहां शरद पवार और अजित पवार की नजदीकियां बढ़ने लगी हैं. हाल ही में दिल्ली में अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार से मुलाकात की है. वो भी तब जब नागपुर में अधिवेशन का शीतकालीन सत्र चल रहा है. अजित पवार नागपुर से फ्लाइट लेकर दिल्ली चले गए और अपने चाचा से मिलकर उन्हें बर्थडे की बधाई दी.इस मुलाकात के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या चाचा-भतीजा फिर (शेष पृष्ठ ७ पर)

महाभियोग मामले में जस्टिस स्वामीनाथन के समर्थन में आए ५० से अधिक रिटायर जज, कहा- डराने का यह घिनौना

नई दिल्ली-
मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं. पिछले दिनों कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और इंडिया गठबंधन के १०० से ज्यादा सांसदों ने संसद में महाभियोग लाने के लिए प्रस्ताव पेश किया था. हालांकि अब इस मामले में जस्टिस जी एस स्वामीनाथन के समर्थन में ५० से ज्यादा न्यायाधीशों ने पत्र लिखा है. जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने ४ दिसंबर को एक मंदिर और दरगाह से जुड़े मामले में हिंदुओं के पक्ष में

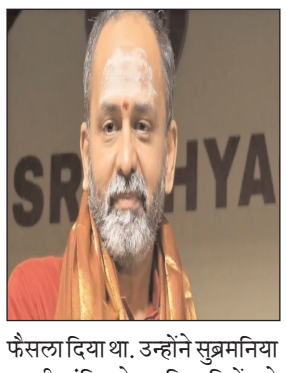

फैसला दिया था. उन्होंने सुब्रमनिया स्वामी मंदिर के अधिकारियों को दूसरे पक्ष के विरोध के बावजूद दीपथून पर शाम ६ बजे तक दीपक जलाने का आदेश दिया था. इस आदेश के बाद तमिलनाडु सरकार काफी भड़क गई थी और आदेश मानने से ही इनकार कर दिया. इसी के बाद से ही विरोध शुरू हुआ था. जस्टिस स्वामीनाथन के आदेश को तमिलनाडु सरकार ने लागू करने से मना कर दिया. सरकार ने इसके पीछे कानून-व्यवस्था बिगड़ने का हवाला दिया था. इसी को आधार बनाकर महाभियोग लाने का तर्क दिया गया. अपने फैसले में न्यायाधीश ने स्पष्ट कहा था कि दीपथून पर दीप जलाने से दरगाह या मुसलमानों के अधिकारों पर कोई असर नहीं होगा. तिरुपरनकुंद्रम (शेष पृष्ठ ७ पर)

वॉशिंगटन में आपातकाल! ७८,००० हुए बेघर, छतों पर फंसे लोग हेलीकॉप्टर से बचाए गए; कई शहर खाली।

नई दिल्ली,(वृत्तसंस्था)

वॉशिंगटन राज्य में कई दिनों तक हुई अभूतपूर्व और लगातार तेज बारिश के कारण ऐतिहासिक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसे राज्यपाल बॉब फर्ग्यूसन ने 'ऐसी स्थिति जो राज्य ने पहले कभी नहीं देखी' करार देते हुए पूरे क्षेत्र में आपातकाल लागू कर दिया है। यह भयावह स्थिति तब बनी जब मुख्य रूप से स्कैजिट और स्नोहोमिश नदियों ने अपने पुराने जलस्तर के रिकॉर्ड तोड़ दिए—स्नोहोमिश नदी अपने पुराने रिकॉर्ड से लगभग एक फुट ऊपर बह रही है, जबकि स्कैजिट नदी भी माउंट वर्नन में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है—जिसके परिणामस्वरूप करीब ७८,००० लोगों को स्कैजिट नदी के आसपास के निचले इलाकों से तुरंत निकाला गया। इस बाढ़ ने बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है; राज्य भर में पुलों और महत्वपूर्ण हाईवे पर पानी भर गया है, जिसके चलते स्टेट रूट ४१० और इंटरस्टेट-९० के हिस्से बंद कर दिए गए हैं, और कई सड़कें पूरी तरह से बह गई हैं, जहां वाहन पेड़ों और कीचड़ में फंसे पाए गए। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में सीमावर्ती शहर सूमास, नूकसैक, और एवर्सन शामिल हैं, जहां सूमास के मेयर ब्रूस बौश ने कहा है कि उनका शहर 'लगभग तबाह हो गया है'; इसके अलावा, अमेरिका-कनाडा बॉर्डर पार करने का रास्ता भी बंद हो गया है और सिएटल-वैंकूवर अम्ट्रैक ट्रेन सेवाएं रोक दी गई हैं। कई इलाकों में पानी १५ फीट तक भर गया है, यहां तक कि फायर स्टेशन भी तीन फीट पानी में डूब गए; ऐसे में, कई परिवारों को उनके घरों की छतों पर फंसे पाए जाने के बाद हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित निकाला गया। कंक्रीट टाउन जैसे स्थानों पर नदी का पानी घरों के दरवाजे तक पहुंच गया, और वेलकम शहर में नदी कटान के कारण दो मकान सीधे नूकसैक नदी में समा गए, जबकि पूर्व सिएटल के स्नोकलमी में हिरणों का एक झुंड फुटबॉल मैदान में गर्दन तक पानी में तैरता दिखा। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ऐसे तीव्र तूफान और बाढ़ की बढ़ती घटनाएं जलवायु परिवर्तन के बढ़ते असर का संकेत हैं, भले ही किसी एक घटना को सीधे इससे जोड़ना वैज्ञानिक रूप से कठिन हो। दुर्भाग्य से, यह संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है; प्रशासन ने निवासियों को आगाह किया है कि मौसम विशेषज्ञों ने शुक्रवार तक और बाढ़ का खतरा जताया है, और रविवार से एक और नया तूफानी सिस्टम राज्य में प्रवेश करेगा, जिससे और अधिक भारी बारिश होने की आशंका है।

इमरान खान की बहनों और कार्यकर्ताओं पर ठंडे पानी की बौछार: अदियाला जेल के बाहर राजनीतिक दमन का आरोप

नई दिल्ला,(वृत्तसंस्था)

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी एक बयान में यह गंभीर आरोप लगाया है कि अदियाला जेल के बाहर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मिलने की अनुमति के अदालती आदेश के बावजूद, सरकार के इशारे पर अधिकारियों ने उनकी बहनों और शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे रहे पार्टी कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए सर्द रात में ठंडे (बर्फीले) पानी की बौछारें की हैं। यह घटना तब हुई जब इमरान खान की बड़ी बहन अलीमा खान के नेतृत्व में, महासचिव सलमान अकरम राजा और खैबर-पख्तूनख्वा के प्रांतीय अध्यक्ष जुनैद अकबर खान सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने मंगलवार को धरना दिया, क्योंकि उन्हें अदालत के आदेश के बावजूद एक बार फिर इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया था। इऊह का आरोप है कि 'चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज' का पद संभालने के बाद से जनरल आसिम मुनीर इमरान खान से जुड़े सभी नामो-निशान मिटाने पर तुले हुए हैं, क्योंकि उनके पास कई अहम रणनीतिक खुफिया जानकारियां हैं जो मुनीर और वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए खतरा बन सकती हैं, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना उनके बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन करने पर आमादा है। हालांकि, टिप्पणीकार देविका सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम को अलग नजरिए से देखा है; उनके अनुसार, इमरान खान अपनी ही 'बोई हुई फसल काट रहे हैं', क्योंकि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री काल में राजनीतिक विरोधियों के साथ यही सुलूक किया था, और अब वह यह जानते हुए भी फौज के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं कि इससे उन्हें चैन नहीं मिलेगा; इसलिए, उन्होंने इमरान की बहनों और पार्टी कार्यकर्ताओं को हंगामा कराने के बजाय धैर्य रखने और भाई की खैरियत जानने के लिए अदालत की शरण लेने की सलाह दी है, यह तर्क देते हुए कि जनरल मुनीर इस वक्त सबसे ताकतवर पाकिस्तानी हैं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय शक्तियां भी शहबाज शरीफ से ज्यादा अहमियत दे रही हैं, और मुनीर के खिलाफ सीधे मोर्चा खोलना इमरान की परेशानियां बढ़ाएगा। दूसरी ओर, अधिवक्ता मुकेश प्रसाद ठाकुर ने इस घटना को नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का बेशर्म उल्लंघन बताते हुए अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र समर्थकों से पाकिस्तान में लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग कर रहे नागरिकों के दमन पर त्वरित कार्रवाई करने की अपील की है।

गज़ा में १२ मौतें और ७.९ लाख विस्थापित बाढ़ के जोखिम पर

नई दिल्ली,(वृत्तसंस्था)

हमास द्वारा संचालित गज़ा सरकार के मीडिया कार्यालय के अनुसार, हालिया तूफान के परिणामस्वरूप कुल १४ लोग की मृत हैं, कम से कम १३ इमारतें ढह गईं और २७,००० टेंट जलमग्न हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) ने बताया है कि लगभग ७९५,००० विस्थापित लोग निचले, मलबे से भरे क्षेत्रों में संभावित खतरनाक बाढ़ के उच्च जोखिम में हैं, जहाँ परिवार असुरक्षित आश्रयों में रह रहे हैं। अपर्याप्त जल निकासी और अपशिष्ट प्रबंधन से बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। मध्य गज़ा के नुसेरात में, विस्थापित पिता, यूसुफ तौताह, ने कहा, 'हमारा भोजन बर्बाद हो गया है,' क्योंकि उनके टेंट के चारों ओर पानी भर गया था, जिससे उनके बच्चों की रात खड़े रहकर गुज़री। IOM ने यह भी बताया कि आश्रयों को मजबूत करने के लिए लकड़ी और प्लाईवुड जैसे आवश्यक सामान, साथ ही बाढ़ से निपटने के लिए रेत के बोरे और पानी के पंप, इजरायली प्रतिबंधों के कारण गज़ा में देर से पहुँच रहे हैं।

➡ २०२३ के बाद से चल रहे युद्ध के कारण गज़ा में बुनियादी ढाँचे का अभूतपूर्व विनाश हुआ है; संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने पानी, सीवेज, स्वास्थ्य सुविधाओं और आवास सहित लगभग समस्त नागरिक बुनियादी ढाँचे के तबाह होने की रिपोर्ट दी है। बड़ी संख्या में नागरिकों की मौत हुई है, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा महिलाएँ और बच्चे हैं, और कुछ अंतरराष्ट्रीय अधिकारियों और संगठनों ने इस हमले को नरसंहार (Genocide) बताया है। इस विनाश और इज़राइल द्वारा लगाई गई नाकेबंदी (blockade) के कारण, गज़ा की पूरी आबादी खाद्य असुरक्षा (cute food insecurity) के उच्च स्तर का सामना कर रही है, और उत्तरी गज़ा के कुछ हिस्सों में अकाल (famine) की पुष्टि हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि इज़राइल द्वारा सहायता को बाधित करने के कारण भोजन और जीवन रक्षक चिकित्सा आपूर्ति की कमी है, जिससे लाखों लोग, विशेष रूप से बच्चे, कुपोषण और बीमारी के खतरनाक चक्र में फँस गए हैं। संयुक्त राष्ट्र और फिलिस्तीनी अधिकारियों के अनुसार, लगभग १.५ मिलियन विस्थापित लोगों के लिए कम से कम ३००,००० नए टेंटों की तत्काल आवश्यकता है, लेकिन सहायता की आवाजाही प्रतिबंधित बनी हुई है।

थाईलैंड-कंबोडिया सीमा पर गोलाबारी जारी, पांचवें दिन २० मौतें; US मध्यस्थता के लिए ट्रंप करेंगे थाई पीएम से बात

नई दिल्ली,(वृत्तसंस्था)

थाईलैंड और कंबोडिया के बीच घातक सीमा संघर्ष पांचवें दिन में प्रवेश कर गया है, जिसमें दोनों दक्षिण पूर्व एशियाई पड़ोसियों के बीच नए सिरे से गोलाबारी और आरोपों में वृद्धि हुई है, सोमवार से अब तक कम से कम २० लोग मारे गए हैं और लगभग २०० घायल हुए हैं, तथा अनुमानित ६००,००० लोग विस्थापित हुए हैं। कंबोडियाई समाचार रिपोर्टों के अनुसार, थाई सेना ने कथित तौर पर शुक्रवार की सुबह कंबोडिया के तीन प्रांतों में नए हमले किए, जिनमें ता मोअन, ता क्रा बेई, थमार डौन, नोम खाइंग और आन सेस जैसे क्षेत्रों में गोलाबारी शामिल है। यह संघर्ष, जो अपनी ८०० किलोमीटर लंबी सीमा पर सदियों पुराने ऐतिहासिक मंदिरों को लेकर है, इसमें तोपखाने, लड़ाकू जेट, टैंक और ड्रोन का इस्तेमाल शामिल है। नए सिरे से शुरू हुए संघर्ष के जवाब में, कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने थाई सेना के इस दावे को 'फर्जी खबर' बताकर सिरे से खारिज कर दिया कि कंबोडिया अपने हमलों में विदेशी भाड़े के सैनिकों और आत्मघाती ड्रोन का उपयोग कर रहा था, साथ ही उन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि वह लंबी दूरी की, चीनी निर्मित इश्-०३ मिसाइलों को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था, और थाईलैंड से मांग की कि वह अपने 'अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन' को सही ठहराने के लिए झूठी खबरें फैलाना बंद करे। इस संकट के बीच, राजनयिक प्रयास तेज हो रहे हैं: थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नवीरकुल ने पुष्टि की कि वह शुक्रवार शाम को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करने वाले हैं, ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से मध्यस्थता करने और 'उन्हें लड़ना बंद कराने' का वादा किया था। इस उच्च-स्तरीय कॉल से पहले, थाईलैंड के शीर्ष राजनयिक सिहासक फुंगकेतकेओव ने अमेरिकी समकक्ष मार्को रुबियो से बात की, जहां थाईलैंड ने शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, और रुबियो ने शांति को रचनात्मक रूप से बढ़ावा देने के लिए अमेरिका की तत्परता की पुष्टि की। इस बीच, अनुतिन का गुरुवार को संसद को उम्मीद से पहले भंग करने का निर्णय—जिसे किंग महा वजीरालोंगकोर्न ने समर्थन दिया है और ४५ से ६० दिनों के भीतर राष्ट्रीय चुनावों का मार्ग प्रशस्त किया है—से मौजूदा सीमा संघर्ष के प्रबंधन को प्रभावित करने की उम्मीद नहीं है।

ICC जज नहीं झुके: लए प्रतिबंधों की चुनौतियों के बीच इजरायली युद्ध अपराधों की जांच जारी रखने का संकल्प।

नई दिल्ली,(वृत्तसंस्था)

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के न्यायाधीश और अभियोजक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के गंभीर परिणामों का सामना कर रहे हैं, जो इजरायली और अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ अफगानिस्तान और गाजा में कथित युद्ध अपराधों की अदालत की जांच के जवाब में लगाए गए थे। एसोसिएटेड प्रेस ने शुक्रवार को रिपोर्ट किया कि इन दंडात्मक प्रतिबंधों के कारण बैंकों, क्रेडिट कार्ड कंपनियों और अमेज़न जैसी प्रमुख तकनीकी कंपनियों ने नौ ICC स्टाफ सदस्यों—जिनमें छह न्यायाधीश और मुख्य अभियोजक शामिल हैं—को आवश्यक सेवाओं से वंचित कर दिया है। ये उपाय, जो इन अधिकारियों को रूस के व्लादिमीर पुतिन जैसे शख्सियतों के समान प्रतिबंधों के अधीन करते हैं, उनकी बुनियादी वित्तीय सेवाओं, ऑनलाइन खरीदारी और ईमेल तक पहुंच को रोकते हैं, और उन्हें अमेरिका में प्रवेश करने से मना करते हैं, उन व्यवसायों को भारी अमेरिकी जुर्माना और जेल की सज़ा की धमकी देते हैं जो प्रतिबंधित व्यक्तियों को 'वित्तीय, भौतिक, या तकनीकी सहायता' प्रदान करते हैं। कनाडाई न्यायाधीश किमबर्ली प्रोस्ट, जिन्हें अफगानिस्तान जांच की अनुमति देने के लिए मतदान करने पर प्रतिबंधित किया गया था, ने बताया कि उनकी क्रेडिट कार्ड तक पहुंच खत्म हो गई, उनके डिवाइस से ई-बुक्स गायब हो गईं, और अमेज़न की एलेक्सा ने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया, उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों से 'छोटी असुविधाएं होती हैं, लेकिन वे जमा होती जाती हैं' और उन्हें 'आतंकवाद और संगठित अपराध में शामिल लोगों की सूची में' डाल दिया गया है। इसके अलावा, मुख्य अभियोजक करीम खान पर भी गहन दबाव की खबरों से प्रतिबंध और बढ़ गए हैं; कथित तौर पर उन्हें नेतन्याहू के एक सलाहकार से जुड़े एक वकील ने चेतावनी दी थी कि यदि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट वापस नहीं लिए गए, तो उन्हें और ICC को 'नष्ट कर दिया जाएगा', और पूर्व ब्रिटिश विदेश सचिव डेविड कैमरन तथा अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम जैसे शख्सियतों से भी पहले धमकी मिलने की खबरें हैं।

किम जोंग उन ने यूक्रेन युद्ध में रूसी समर्थक सैनिकों की सराहना की, पार्टी में भ्रष्टाचार खत्म करने का लिया संकल्प

नई दिल्ली,(वृत्तसंस्था))

उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने गुरुवार को अपनी सत्तारूढ़ पार्टी की तीन दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक का समापन करते हुए रूस के यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में तैनात अपने सैनिकों की सराहना की, और कहा कि इन विदेशी सैन्य अभियानों ने 'दुनिया को हमारी सेना और राज्य की प्रतिष्ठा को हमेशा जीतने वाली सेना और अंतर्राष्ट्रीय न्याय के वास्तविक रक्षक के रूप में प्रदर्शित किया है।' हालांकि दक्षिण कोरियाई अनुमानों के अनुसार रूस के साथ लड़ रहे कम से कम ६०० उत्तर कोरियाई सैनिक मारे गए हैं, लेकिन किम ने सेना के प्रयासों की प्रशंसा की और साथ ही आंतरिक मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया। राज्य संचालित KCNA के अनुसार, उन्होंने कुछ अधिकारियों के 'गलत वैचारिक दृष्टिकोण और निष्क्रिय तथा गैर-जिम्मेदाराना कार्य रवैये' की निंदा की और कुछ अधिकारियों के बीच 'कमियों और बुरी प्रथाओं' (जो संभवतः भ्रष्टाचार के लिए एक euphemism है) को जड़ से खत्म करने का वादा किया। रक्षा के आधुनिकीकरण पर भी जोर देने वाली यह टिप्पणी, अगले साल की शुरुआत में होने वाले नौवें पार्टी कांग्रेस से पहले आई है, जहां प्योंगयांग से उम्मीद है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के प्रति अपनी नीति दृष्टिकोण को संहिताबद्ध करेगा, एक ऐसा संबंध जो वर्तमान में बढ़े हुए द्वेष से चिह्नित है, भले ही दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने सीमा पर लगे लाउडस्पीकरों को हटाकर और अपने पूर्ववर्ती द्वारा कथित उकसावे के लिए माफी पर विचार करके तनाव कम करने के प्रयास किए हों।

म्यांमार: सैन्य हवाई हमले में म्राउक यू अस्पताल तबाह; WHO ने ३३ मौतों की पुष्टि कर 'युद्ध अपराध' बताया

नई दिल्ली,(वृत्तसंस्था)

म्यांमार के रखाइन राज्य में अराकान सेना (AA) के नियंत्रण वाले म्राउक यू जनरल अस्पताल पर बुधवार देर रात सैन्य विमान से गिराए गए बमों के कारण भीषण हमला हुआ, जिससे यह ३०० बिस्तरों वाला मुख्य सुविधा केंद्र पूरी तरह से नष्ट हो गया। (WHO) प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस के अनुसार, इस हमले में कम से कम ३३ लोग मारे गए, जिनमें स्वास्थ्यकर्मी, मरीज और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं, जबकि ६८ से अधिक लोग घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के अधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने इस घटना को 'युद्ध अपराध' बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की और तत्काल जांच की मांग की, क्योंकि यह इस वर्ष स्वास्थ्य सुविधाओं पर ६७वां सत्यापित हमला है। अराकान सेना के प्रवक्ता ने बताया कि टाउनशिप में हाल ही में कोई लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन सैन्य सरकार विद्रोही-नियंत्रित क्षेत्रों को निशाना बनाने के लिए तेजी से हवाई हमलों का सहारा ले रही है।

शांति प्रस्ताव पर सवाल: अमेरिका ने डोनबास में 'मुक्त आर्थिक क्षेत्र' बनाने की पेशकश की, ज़ेलेंस्की ने जताई संदेह की भावना

नई दिल्ली,(वृत्तसंस्था)

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने गुरुवार को पुष्टि की कि अमेरिका ने पूर्वी यूक्रेन के विवादित डोनबास क्षेत्र में एक शांति समझौते को आगे बढ़ाने के लिए एक 'मुक्त आर्थिक क्षेत्र' बनाने का प्रस्ताव दिया है, हालांकि यह प्रस्ताव पहले लीक हुए उस मसौदे का संशोधित रूप है, जिसे यूक्रेन ने अपने क्षेत्र से सेना हटाने की शर्त के कारण अस्वीकार कर दिया था। नए अमेरिकी प्रस्ताव में यह कल्पना की गई है कि यूक्रेन बिना रूस के आगे बढ़े अपनी सेना हटाएगा, जिससे एक तटस्थ क्षेत्र बन सके, लेकिन ज़ेलेंस्की ने इस पर संदेह व्यक्त किया और सवाल उठाया कि इस क्षेत्र पर शासन कौन करेगा और रूसी सेनाओं को नागरिक बनकर इस 'मुक्त आर्थिक क्षेत्र' पर कब्ज़ा करने से क्या रोका जाएगा। सैन्य विशेषज्ञों, जैसे कि माइकल क्लार्क और मैथ्यू सैविल, ने भी इस प्रस्ताव पर गहरी चिंता व्यक्त की है, उनका कहना है कि यह भविष्य के हमलों को रोकने के लिए 'कोई भौतिक समाधान' नहीं छोड़ता है और रूस आगे बढ़ने के लिए 'बहुत अधिक लालायित' होगा। ज़ेलेंस्की ने ज़ोर देकर कहा कि किसी भी शांति समझौते में 'यूरोपीय निवारण के गंभीर घटक' होने चाहिए और उन्होंने चेतावनी दी कि 'किसी को भी तीसरे रूसी आक्रमण में दिलचस्पी नहीं है।' यह घटनाक्रम ३४-राष्ट्रों के 'इच्छुक गठबंधन' की बैठक के बाद आया है, जिसमें सैन्य सहायता जारी रखने और जमे हुए रूसी संपत्तियों को जुटाने पर सहमति बनी है। ज़ेलेंस्की ने यह भी दोहराया कि यूक्रेन में चुनाव कराने से पहले 'संघर्ष विराम होना चाहिए।'

महाराष्ट्र में इस साल नौ महीनों में ७८१ किसानों ने आत्महत्या की: मंत्री

मुंबई-

महाराष्ट्र में २०२५ के पहले नौ महीनों में कर्ज, फसल खराब होने और बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से ७८१ किसानों ने आत्महत्या की है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, यह जानकारी राज्य के राहत और पुनर्वास विभाग के मंत्री मकरंद जाधव (पाटिल) ने गुरुवार को विधान परिषद में एक लिखित जवाब में दी. विदर्भ के नागपुर डिवीज़न में २९६ किसानों ने आत्महत्या की है और मराठवाड़ा में २१२ किसानों ने आत्महत्या की है. जाधव ने बताया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के २०२३ के आंकड़ों के अनुसार, देश में हुए हर दो किसान आत्महत्याओं में से एक महाराष्ट्र में हुई. महाराष्ट्र में अब तक दर्ज ६,६६९ किसान आत्महत्याओं में से ४,१५० किसान और २,५१९ कृषि मज़दूर थे.वह विधानपरिषद सदस्यों सुधाकर अडबाले, अशोक जगताप, अभिजीत वंजारी, राजेश राठोड़, धीरज लिंगाडे तथा अन्य सदस्यों द्वारा राज्य में बढ़ती आत्महत्याओं के संबंध में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे.

उन्होंने कहा, 'आत्महत्याओं को रोकने के लिए किसानों की उपज के उचित दाम सुनिश्चित करना, सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करना, फसल/कृषि भूमि/पशुधन हानि के लिए किसानों को तुरंत मुआवजा वितरित करना, और आपदा राहत केंद्रों का संचालन जैसे उपाय जिला स्तर पर लागू किए जा रहे हैं.'जुलाई में जाधव ने विधानसभा को बताया था कि मार्च महीने में अकेले मराठवाड़ा और विदर्भ में २५० किसान आत्महत्याएं दर्ज की गईं.उन्होंने बताया, इनमें से १०२ मामलों को सरकारी मुआवजे के लिए पात्र पाया गया, ६२ मामले अपात्र पाए गए और ८६ मामले जांच के लिए लंबित हैं. १०२ पात्र मामलों में से ७७ परिवारों को १ लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई.जाधव ने आगे बताया कि अप्रैल में २२९ किसान आत्महत्याएं दर्ज की गईं, जिनमें से ७४ मामले पात्र पाए गए, जबकि ३१ को मुआवजा नहीं मिला. शेष मामलों में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया जारी है.वहीं, नई दिल्ली में एनसीपी (एसपी) की सांसद फ़ौज़िया खान ने राज्यसभा में कहा कि महाराष्ट्र में पिछले तीन महीनों में ७६६ किसानों ने आत्महत्या की है.उन्होंने शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए पूछा, 'मेरा सरकार से सवाल है – किसान कब सरकार के लिए प्रिय बनेंगे?' खान ने कहा कि महाराष्ट्र किसान आत्महत्याओं में देश में सबसे ऊपर है, और राज्य सरकार ने विधानसभा में तीन महीनों में ७६६ मौतों की जानकारी दी है.उन्होंने कहा, 'इनमें से ६७६ परिवारों को सरकारी सहायता मिली, जबकि २०० को सहायता नहीं दी गई.' खान ने कहा कि इस वर्ष भारी बारिश और व्यापक बाढ़ के बाद ३१,६२८ करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा के बावजूद ज़मीनी हकीकत अलग है.उन्होंने यह भी इंगित किया कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में बताया था कि मंत्रालय को महाराष्ट्र से किसी अतिरिक्त सहायता का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ.वहीं, खान ने चौहान के जवाब का हवाला देते हुए कहा कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत किसानों के लिए ४,१७६ करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिसमें केंद्र का हिस्सा ३,१८० करोड़ रुपये था, और १,१३,४५५ किसानों के बैंक खातों में ८२ करोड़ रुपये जमा किए गए. उन्होंने कहा, 'बेचारा किसान इन आंकड़ों से स्तब्ध है.'एनसीपी–एससीपी सांसद ने आंकड़ों में विसंगति की ओर भी ध्यान दिलाया. उन्होंने कहा कि जहां राज्य के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरने ने बताया कि १९ जिलों में १४.३६ लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुआ, वहीं केंद्र को भेजी गई रिपोर्ट में केवल १,१०,३०९ हेक्टेयर का उल्लेख है.खान ने कहा, 'कहां १४ लाख और कहां १ लाख? यह किसानों के साथ नाइंसाफ़ी और मज़ाक है.'उन्होंने जोर दिया कि यह कोई साधारण मौसमी संकट नहीं बल्कि लाखों किसानों को प्रभावित करने वाली एक व्यापक कृषि आपदा है, और कहा कि मौजूदा फ़सल बीमा ढांचा पर्याप्त कवरेज प्रदान नहीं करता.

क्या अन्ना हजारे के सामने झुकेगी सरकार? लोकायुक्त कानून को लेकर फिर करेंगे अनशन, सीएम फडणवीस को पत्र लिखकर दी चेतावनी

पुणे-

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे एक बार फिर अनशन करने जा रहे हैं. अन्ना हजारे ने इसके लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा है. इससे पहले २०११ में अन्ना हजारे ने लोकायुक्त विधेयक को लेकर दिल्ली में यूपीए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था. अन्ना हजारे को देशभर से व्यापक जनसमर्थन मिला. जिसके आगे सरकार को झुकना पड़ा.हीं अन्ना हजारे ने पत्र में लोकायुक्त विधेयक के क्रियान्वयन के लिए अनशन करने की चेतावनी दी गई है. उन्होंने पत्र में लिखा, 'वह लोकायुक्त कानून के अमल के लिए फिर अनशन करने जा रहे हैं. वह ३० जनवरी २०२६ से राळेगण सिद्धी स्थित यादव बाबा मंदिर में अनशन की शुरुआत करेंगे.' माना जा रहा है कि अन्ना के इस अनशन को विपक्ष का भी समर्थन मिलेगा. अन्ना ने पत्र के जरिए महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी देते हुए लिखा, 'अगर इस कानून को अमल में नहीं लाया जाता है तो वह अनशन शुरू कर देंगे.'अन्ना हजारे ने पत्र में लिखा, सरकार ने आश्वासन देने के बाद २८ दिसंबर २०२२ को विधानसभा और १५ दिसंबर २०२३ को विधान परिषद में लोकायुक्त विधेयक पारित होने के बाद बावजूद उसे अमल में नहीं लाया है. जबकि इस कानून को अमल में लाया जाना चाहिए था. अब विधेयक पारित हुए दो साल बीत चुके हैं, फिर भी इसे लागू नहीं किया गया है. सरकार के पीछे हटने के बाद ही उन्हें अनशन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है.

विधेयक को लेकर सरकार की नियत में खोट

अन्ना हजारे ने पत्र में आगे लिखा, लोकायुक्त विधेयक के क्रियान्वयन न होने से सरकार की इच्छा शक्ति नजर नहीं आती है. इस विधेयक को अमल में लाने के लिए अन्ना पूर्व में कई बार सरकार को इस बारे में कई पत्र लिख चुके हैं. इसके अलावा मौखिक रूप से भी सरकार को कई बार कह चुके हैं. अन्ना हजारे का आरोप है कि इस विधेयक को लेकर सरकार की नियत में खोट नजर रहा है. दोनों ही विधानसभा में विधेयक पारित होने के बाद उसे अमल में नहीं लाना दिखाता है कि सरकार इसे जानबूझकर देरी कर रही है. इसलिए अनशन करने को मजबूर होना पड़ रहा है.

अन्ना हजारे ने २०११ में हिला दी थी सरकार

अप्रैल २०११ में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने यूपीए सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किया था. उनकी मांग थी कि सरकार लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाए. सरकार ने उनकी मांग मानते हुए अनशन के पांचवें दिन, यानी ९ अप्रैल को इसके लिए अधिसूचना जारी की, जिसके बाद अन्ना ने एक छोटी बच्ची के हाथों नींबू पानी पीकर अपना अनशन तोड़ा.

अन्ना के दोबारा अनशन करने पर झुकी थी सरकार

अनशन खत्म करने के बाद उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि १५ अगस्त तक लोकपाल विधेयक पास नहीं किया जाता है, तो अगले दिन से वो एक बार फिर आंदोलन शुरू करेंगे. १५ अगस्त तक विधेयक पास नहीं हुआ और १६ अगस्त को अन्ना दोबारा अनशन पर बैठे. इसके बाद देशभर में अन्ना के समर्थन में आंदोलन शुरू हो गए. आखिरकार सरकार को आनन-फानन में इस बिल को लोकसभा में लाना पड़ा. लोकसभा में बिल पास होने के बाद अन्ना का आंदोलन खत्म हुआ.

अन्ना के आंदोलन से निकले नेता

अन्ना के आंदोलन को किरण बेदी, कुमार विश्वास, अनुपम खेर, जनरल वीके सिंह, योगेंद्र यादव जैसी हस्तियों ने समर्थन दिया. अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, शाजिया इल्मी जैसे कई लोग इस आंदोलन के बाद हीरो बन गए. जबकि वीके सिंह और किरण बेदी को राजनीतिक लाभ मिला. अन्ना अपने आंदोलन को राजनीतिक लोगों से दूर रखते थे. अन्ना के साथ इस आंदोलन में शामिल कई लोग इसी आंदोलन से नेता बन गए. इन लोगों ने मिलकर आम आदमी पार्टी बनाई। केजरीवाल इसके संयोजक बने.

'मैं इसे घर से ले आऊंगाष्ठ', ४ दिन तक नहीं आई नौकरानी तो भड़के मालिक ने तान दी 'बंदूक', ठाणे में जमकर किया हंगामा

मुंबई-

महाराष्ट्र के ठाणे के कासारवडवली में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां एक नौकरानी अपने मालिक से एक दिन की छुट्टी लेकर घर गई, लेकिन वह वापस चार दिन बाद भी काम पर नहीं लौटी. विवाद इतना बढ़ गया कि मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया. पुलिस ने घर की मालकिन मोनिका शर्मा और उसके बेटे को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.घर की मालकिन मोनिका शर्मा के घर में एक महिला पिछले छह महीनों से काम कर रही थी. ६ दिसंबर को डॉ. भीमराव आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस पर उसने एक दिन की छुट्टी ली थी, लेकिन चार दिन बीत जाने के बाद भी वह काम पर नहीं लौटी. इससे नाराज़ होकर मोनिका शर्मा ने उसे कई बार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. कुछ समय बाद जब घरेलू सहायिका ने फोन उठाया, तो मोनिका शर्मा और उसके बेटे ने कथित रूप से उसे अपशब्द कहे और चोरी के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी. आरोप है कि कॉल पर यह भी कहा गया कि तुझको और तेरे पति को जहां भी होंगे, वहां से उठवा लेंगे. इन धमकियों से भयभीत महिला ने पूरा घटनाक्रम अपने परिजनों को बताया.इसके बाद पीड़िता के परिजन मोनिका शर्मा के घर पहुंचे. इसी दौरान दोनों पक्षों में विवाद हो गया. आरोप है कि इस वाद-विवाद के बीच मोनिका शर्मा के बेटे ने धौंस दिखाने के लिए पीड़िता के परिवार पर बंदूक तान दी. इससे घबराए परिवार ने तुरंत कासारवडवली पुलिस को सूचना दी.सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई. जांच में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि आरोपी युवक ने जो बंदूक दिखाई थी, वह असल में बंदूक की तरह दिखने वाला एक लाइटर था. हालांकि, हथियारनुमा वस्तु दिखाकर धमकाना भी गंभीर मामला माना जाता है. पुलिस ने इस आधार पर मोनिका शर्मा और उसके बेटे को हिरासत में ले लिया है. घटना की जानकारी मिलते ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के स्थानीय पदाधिकारी भी थाने पहुंचे और पीड़ित महिला को न्याय दिलाने की मांग की.

दुर्भावना की बू... जीशान सिद्दीकी की सुरक्षा हटाने पर बॉम्बे हाई कोर्ट का तंज, महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब

मुंबई-

महाराष्ट्र पूर्व मंत्री बाबा सिद्दकी के पूरे परिवार की पुलिस सुरक्षा कम करने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। हाई कोर्ट ने कहा, प्रथम दृष्टया सिक्युरिटी हटाने से दुर्भावना की गंध आ रही है। अदालन ने सवाल उठाया कि सुरक्षा से जुड़ी कमिटी ने किस आधार पर सुरक्षा घटाने का निर्णय किया है, इसका कहीं जिक्र नहीं है। जस्टिस ए.एस. गडकरी और जस्टिस आर.आर. भोंसले की पीठ बाबा सिद्दीकी की पत्नी शहजीन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।बेंच ने टिप्पणियां कीं और सरकार से सवाल पूछा। शहजीन ने याचिका में अपने पति की हत्या की जांच को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेंसी को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। अदालत ने राज्य सरकार से मामले का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने को कहा और अगली सुनवाई की तारीख १६ दिसंबर तय की।इससे पहले, अदालत ने राज्य सरकार के वकील से सवालों की बौछार कर दी और उस खतरे की आशंका समिति की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति मांगी, जिसमें जीशान की सुरक्षा कम करने की सिफारिश की गई थी। इस बिंदु पर, अदालत को बताया गया कि जीशान की उच्च स्तरीय वाई-श्रेणी की सुरक्षा कम करने का निर्णय लेने से पहले समिति की कोई बैठक नहीं हुई थी। वाई-श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को आमतौर पर आठ से ग्यारह कमांडो या पुलिसकर्मी सुरक्षा प्रदान करते हैं। हालांकि, जीशान को वर्तमान में केवल दो पुलिस कांस्टेबलों द्वारा सुरक्षा प्रदान की जा रही है।बांद्रा में १२ अक्टूबर २०२४ की रात को उनके बेटे जीशान के कार्यालय के बाहर तीन हमलावरों ने सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सिद्दीकी की हत्या के बाद, जीशान ने आवेदन दिया था जिसके बाद उसे पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई थी। शहजीन के वकील प्रदीप घरत ने अदालत को बताया कि शहजीन के याचिका दायर किए जाने के बाद पुलिस ने उनकी सुरक्षा कम कर दी। इसके बाद पीठ ने पुलिस से उस समिति की बैठक का कार्यवृत्त (एमओएम) मांगा जिसमें जीशान की सुरक्षा कम करने का निर्णय लिया गया था।लोक अभियोजक मनकुंवर देशमुख ने पीठ के समक्ष पुलिस की तैयार की गई खतरे की आशंका रिपोर्ट (टीपीआर) वाली एक फाइल प्रस्तुत की। इस फाइल का उपयोग किसी व्यक्ति/व्यक्तियों को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने/कम करने/हटाने के बारे में निर्णय लेने के लिए किया जाता है। उन्होंने याचिका दायर होने के बाद सुरक्षा कम किए जाने के दावों का खंडन किया।

हालांकि, पीठ ने उन विवरणों की जानकारी मांगी जहां जीशान की सुरक्षा कम करने का निर्णय लिया गया था। पीठ ने कहा कि यह निष्कर्ष कहां है कि खतरे की कोई आशंका ही नहीं है? सुरक्षा कम करने के लिए किसी भी प्राधिकरण द्वारा दिए गए तर्क हमें दिखाए। यह स्वीकार करते हुए कि बैठक हर मामले के लिए नहीं होती, देशमुख ने कहा कि कभी-कभी यह टीपीआर रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाता है।अदालत के एक सवाल के जवाब में देशमुख ने कहा कि जीशान की सुरक्षा इस साल आठ नवंबर से कम कर दी गई थी। इसके बाद पीठ ने टिप्पणी की, 'प्रथम दृष्टया इसमें दुर्भावना प्रतीत होती है। क्योंकि यह किसी समिति द्वारा तय नहीं किया गया है। यह किसी अधिकारी/अधिकारियों द्वारा तय किया गया है, जिन्होंने सुरक्षा को मंजूरी दी और कम की।' पीठ ने राज्य के महाधिवक्ता को मामले में पेश होने का निर्देश दिया।

सड़क नहीं, पानी में पहुंचें नवी मुंबई से मुंबई, ३० मिनट में ९० मिनट का सफर कितना होगा बोट किराया?

नवी मुंबई-

नवी मुंबई से मुंबई तक सफर करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. लंबे समय से अटकी नेरुल जेट्टी से दक्षिण मुंबई (भाऊचा ढाक) तक की बोट सेवा १५ दिसंबर से शुरू हो जाएगी. इससे सड़क मार्ग की तुलना में समय की काफी बचत होगी. इससे ९० मिनट का सफर महज ३० मिनट में पूरा हो जाएगा. फेरी सेवा शुरू होने से समय की बचत होगी. साथ ही सड़कों का ट्रैफिक दबाव भी कम होगा.नवी मुंबई के यात्री अब जल मार्ग से मुंबई पहुंच सकेंगे. सिडको ने नेरुल में पाम बीच रोड के पास एक जेट्टी बनाई थी. पहले इस जेट्टी से रो-रो सेवा शुरू करने की योजना थी. हालांकि, कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण यह सेवा रुकी हुई है. अब, जेट्टी बनकर तैयार होने के बावजूद, यहां

से कई सालों से वाटर ट्रांसपोर्ट शुरू नहीं हो पा रही था, लेकिन अब १५ दिसंबर से नेरुल से भाऊचा ढाक तक वाटर ट्रांसपोर्ट संभव हो सकेगा.नवी मुंबई के नेरुल से दक्षिण मुंबई के भाऊचा ढाक तक १५ दिसंबर से बोट सेवा शुरू हो जाएगी. शुरुआत में २०-सीटर बोट रोजाना सुबह शाम-साम चार ट्रिप मारेगी. करीब ८० लोग रोजाना सफर कर सकेंगे. अब नेरुल से भाऊचा ढाक तक जाने में करीब ९० मिनट का समय लगता है, लेकिन बोट सेवा शुरू हो जाने के बाद यह पूरी महज ३० मिनट की रह जाएगी. यात्रा के लिए टिकट के दाम भी तय हो गए हैं.प्रति यात्री टिकट के ९३५ रूपये होंगे. जैसे ही महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड इस संबंध में हरी झंडी देगा, यह सेवा शुरू हो जाएगी. स्थानीय लोगों का कहना है कि किराया काफी ज्यादा है. इस आम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. इसलिए अभी यह कहना मुश्किल होगा कि यह कितना सफल रहती है. मुंबई और नवी मुंबई के बीच की बोट सेवा क्षेत्रीय विकास को गति देने काम करेगी.

३.५ करोड़ की ज्वेलरी और कैश.. मुंबई में मेड ने ही घर में लगाई थी सेंध

मुंबई-

मुंबई पुलिस ने करोड़ों की ज्वेलरी चोरी मामले में सफलता मिली है. मरीन ड्राइव पुलिस ने करोड़ों की ज्वेलरी चुराकर भागने वाली नौकरानी को पुलिस ने चोरी की ज्वेलरी के साथ गिरफ्तार कर लिया है. बुजुर्ग महिला के घर देखभाल करने आई मेड ने घर से करोड़ों रुपये की ज्वेलरी चुरा ली, जिसके बाद से पुलिस फरार नौकरानी की तलाश में जुटी हुई थी. ३ करोड़ ५६ हज़ार रुपये की ज्वेलरी चोरी हो गई. जिसमें से पुलिस ने नौकरानी से १ करोड़ २७ लाख ३१ हज़ार रुपये जब्त कर लिया है.दरअसल, बुजुर्ग महिला के घर ४४ साल की अर्चना सुनील साल्वी कुछ महीने पहले ही घर की देखभाल करने और काम करने के लिए आई थी. इस दौरान उसकी नियत खराब हो गई और उसने ३ करोड़ ५६ हज़ार रुपये की ज्वेलरी चोरी कर फरार हो गई. पुलिस इस मामले में पिछले ८ साल से जांच कर रही थी. ८ महीने की पूरी जांच के बाद, पुलिस ने सबूतों के साथ चोरी करने वाली नौकरानी को गिरफ्तार किया. मरीन ड्राइव पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस जुर्म में और कितने लोग शामिल हैं. DCP प्रवीण मुंडे ने कहा कि मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन, मशाये ३०६ के तहत एक खुले घर से चोरी की सूचना मिली थी. एक ९२ साल की महिला अकेली रह रही थी. उसका बेटा और बहू दुबई में हैं. उसके घर से १४३७ ग्राम ज्वेलरी चोरी हो गई. मरीन लाइन्स पुलिस ने सावधानी से

काम करते हुए १२४९ ग्राम जब्त कर लिया कुल ज्वेलरी में से १०० ज्वेलरी सेट थीं. इनकी कुल कीमत १ करोड़ २७ लाख रुपये है. २७ जुलाई को पता चला कि चोरी हो गई है.उन्होंने कहा कि यह केस बहुत मुश्किल था. सबूत नहीं मिल रहे थे. उस दौरान, शिकायत करने वाले की बेटी आई थी और उससे भी पूछताछ की गई. इस केस में ४ संदिग्धों से पूछताछ की गई. उनसे अर्चना साल्वी के बारे में जानकारी मिली.पुलिस ने पूछताछ और जांच के बाद कल्याण से अर्चना साल्वी को गिरफ्तार कर लिया. चोरी लालच के लिए की गई थी. यह नौकरानी टेम्पररी काम के लिए आई थी. एक अलमारी में कुछ पैसे और चाबियां थीं. वहां से महिला अलमारी तक पहुंची. उसने वह पैसे भी चुरा लिए थे. जब चोरी का पता चला तो वह वहां काम नहीं कर रही थी.

ऐसी भी क्या मजबूरी! नासिक में १४ बच्चों की मां पर लगे ६ मासूमों को बेचने के आरोप, पुलिस कर रही जांच

नासिक-

महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रिमबकेश्वर में गरीबी के चलते आदिवासी मां पर अपने ६ बच्चों को बेचने का गंभीर आरोप लगा है. इस गंभीर और दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे नासिक जिले को झकझोर दिया है. सामाजिक कार्यकर्ता के दावों के बाद, पुलिस और बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) मामले की गहन जांच-पड़ताल में जुट गई है.सामाजिक कार्यकर्ता भगवान मधे के अनुसार, त्र्यंबकेश्वर तालुका के भारदाची वाडी में रहने वाली एक महिला के कुल १४ बच्चे थे. इस ४५ साल की महिला की आर्थिक हालत इतनी खराब है कि उसे पैसों के लिए अपने ६ बच्चों को बेचना पड़ा है. जानकारी के अनुसार, जब महिला ने अपने १४वें बच्चे को जन्म दिया, तब उसने स्वास्थ्य जांच तक नहीं करवाई थी. सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया और बच्चे का सुरक्षित

प्रसव कराया.हालांकि, उन्हें संदेह है कि मां ने प्रसव के दो महीने बाद ही बच्चे को मात्र १०,००० रुपये में बेच दिया. मधे ने इस घटना के लिए प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. आज भी अगर किसी मां को पैसों के लिए अपना बच्चा बेचना पड़ता है, तो इसके लिए पूरी तरह से प्रशासन जिम्मेदार है. मधे ने आरोप लगाया है कि इस मां को घर नहीं दिया गया है. उन्होंने बाल विकास विभाग से इस मामले की गहन जांच की मांग की है.मामले का खुलासा उस समय हुआ, जब १० अक्टूबर २०२५ को पैदा हुआ १४वें बच्चे के स्वास्थ्य जांच के लिए आशा वर्कर (सामाजिक कार्यकर्ता) महिला के घर पहुंची. अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक, महिला की १० अक्टूबर २०२५ को १४वीं डिलीवरी हुई थी. बच्चा का वजन कम था. इसी की नियमित जांच के लिए आशा वर्कर उसके घर पहुंची, लेकिन बच्चा घर पर नहीं मिला. महिला ने आशा वर्कर को बताया कि उसने बच्चा किसी दे दिया है.जांच में जुटी पुलिस

बता दें कि महिला पर पहले ही सामाजिक संस्थाओं को बच्चा बेचने का संदेह था, जो कि इस बार यकीन में बदल गया. महिला के द्वारा पहले ही २-३ बच्चे बेचने की जानकारी सामाजिक संस्थाओं को मिली थी. आशा कार्यकर्ता ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को बच्चे की जानकारी दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए नासिक ग्रामीण पुलिस अधीक्षक बालासाहेब पाटिल, पुलिस प्रशासन और तहसील कार्यालय के अधिकारी तुरंत महिला के घर पहुंचे. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, संदिग्ध दंपत्ति फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं. नासिक ग्रामीण पुलिस अधीक्षक बालासाहेब पाटिल के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बच्चों को बेचा गया है. इसके मद्देनजर पुलिस मौके पर गई और पूरे मामले की जानकारी जुटाई. जांच में पता चला है कि महिला के १४ बच्चों में से १२ ही जीवित हैं. इनमें से १ बच्चे की मौत हो चुकी है.

अग्रलेख

एनआईए की १००% दोषसिद्धि का सच: जब 'न्याय' लंबी कैद और मजबूर स्वीकारोक्ति में बदल जाए

२१ मार्च २०२५ को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद के ऊपरी सदन में खड़े होकर अपनी सरकार की आतंकवाद-रोधी उपलब्धियों का बखान कर रहे थे। दो घंटे से भी अधिक लंबे भाषण में उन्होंने खास तौर पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की सफलता पर जोर दिया। शाह ने दावा किया कि आतंकवाद के मामलों में एनआईए का प्रदर्शन दुनिया की किसी भी जांच एजेंसी से बेहतर है और इसकी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'जीरो टॉलरेंस' नीति है। उन्होंने ३१ दिसंबर २०२४ की एनआईए की प्रेस विज्ञप्ति का जिक्र किया, जिसमें एजेंसी ने २०२४ के लिए १००इ दोषसिद्धि दर होने का दावा किया था। यह दावा पहले से ही ९४-९५इ की ऊँची दर रखने वाली १५ साल पुरानी एजेंसी के लिए और भी चौंकाने वाला था। उसी वर्ष एजेंसी ने २५ मामलों में दोषसिद्धि हासिल करने की जानकारी दी थी। एनआईए की लगातार बढ़ती ताकत और दायरा बताता है कि यह एजेंसी सिर्फ आकार और बजट में ही नहीं, बल्कि कानूनी शक्तियों में भी असाधारण रूप से बढ़ी है। एनआईए की स्थापना २००८ के मुंबई हमलों के तुरंत बाद हुई थी, जब तत्कालीन गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने संसद से इस एजेंसी को मंजूरी दिलाई। राज्यसभा में बहस के दौरान कुछ नेताओं–जिनमें सीताराम येचुरी भी शामिल थे–ने कहा था कि यह एजेंसी संघवाद की भावना को कमजोर कर सकती है। लेकिन इन चिंताओं को दरकिनार करते हुए विधेयक सिर्फ चार दिनों में पारित कर दिया गया। बाद में विकीलीक्स के एक केबल से पता चला कि खुद चिदंबरम ने अमेरिकी अधिकारियों से कहा था कि इस एजेंसी की शक्तियों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। बल्कि, पिछले १५ सालों में एनआईए और मजबूत हुई है और इसका कानून बार-बार संशोधित हुआ है।

यूएपीए–जिसके तहत एनआईए अधिकांश मामलों की जांच करती है–में भी कई बार बदलाव किए गए, खासकर २००८, २०१२ और २०१९ में। २०१९ में तो साइबर आतंकवाद, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी और नकली मुद्रा जैसे कई अपराध भी एनआईए के दायरे में जोड़ दिए गए। २०१९ के संशोधन के बाद एनआईए को विदेशों में भारतीयों और भारतीय हितों पर हुए आतंकवादी हमलों की जांच करने का अधिकार भी मिल गया। एजेंसी का ढांचा भी तेजी से बढ़ा है–गुवाहाटी और जम्मू में दो क्षेत्रीय केंद्रों के अलावा देशभर में २१ शाखाएँ हैं, जिनमें से १३ शाखाएँ सिर्फ पिछले पाँच वर्षों में खोली गईं। एनआईए के स्टाफ की संख्या १,२३७ से बढ़कर १,९०० के करीब हो गई है और इसका बजट १२ करोड़ से बढ़कर लगभग ३९५ करोड़ रुपये हो चुका है। अन्य केंद्रीय एजेंसियों–जैसे ईडी या सीबीआई–की आलोचनाओं और असफलताओं के बीच, एनआईए को लगातार 'सफल' एजेंसी के रूप में पेश किया जाता है। लेकिन यह सवाल भी उठता है कि एनआईए की यह ऊँची दोषसिद्धि दर क्या वास्तव में गहरी और निष्पक्ष जांच का नतीजा है, या फिर यह किसी और परेशान करने वाली प्रक्रिया की ओर इशारा करती है? द वायर ने दो साल तक एनआईए के डेटा, वेबसाइट और अदालतों के रिकॉर्ड का अध्ययन किया और एक चिंताजनक पैटर्न सामने आया–ज्यादातर आरोपी इतने लंबे समय तक जेल में रखे जाते हैं कि अंत में वे मजबूर होकर खुद को दोषी मान लेते हैं। २००९ के बाद कई सालों तक एनआईए के मामलों के मुकदमे शुरू ही नहीं हुए। ऊँईं की धारा ४३अ(५), जिसे २००८ में जोड़ा गया, आरोपी को जमानत मिलने को लगभग नामुमकिन बना देती है। इसके बावजूद कुछ उच्च न्यायालय पहले थोड़ी राहत देते थे, लेकिन २०१९ के सुप्रीम कोर्ट के 'वटाली फैसले' ने हालात बदल दिए। इस फैसले के बाद अदालतों को माना पड़ता है कि अभियोजन पक्ष का आरोपपत्र 'पहली नजर में सही' है, और आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वही सामग्री इस्तेमाल नहीं करने दी जाती। यानी जमानत पाना लगभग उतना ही कठिन हो गया जितना बरी होना।

यह समाचार पत्र मालक, प्रकाशक **सज्जाद हुसेन अलताफ हुसेन**, इन्होने मुद्रक - औरंगज़ेब हुसेन सज्जाद हुसेन, मुद्रण स्थल- **हुसेनी प्रिंटींग प्रेस,** हुसेनी कॉम्प्लेक्स, वाशिम बायपास, अकोला ता.जि. अकोला (महाराष्ट्र) यहा छापकर ऑफीस : **दैनिक सुफ्फा,** जनता भाजी बाज़ार, अकोला जि. अकोला यहां से प्रकाशित किया. **संपादक : सज्जाद हुसेन अलताफ हुसेन** प्रकाशित लेख और खबरों से संपादक सहमत है ऐसा नही. (पी.आर.बी.ॲक्ट के अनुसार संपादक उत्तरदायी होंगे) सभी प्रकरण अकोला न्यायालय के अंतर्गत रहेंगे.

डॉक्टर कलाम का व्यक्तित्व

साजिद खान (डायरेक्टर हज्जन जुबेदा बी मीडिया ग्रुप, धनपुरी)

हमारे देश के एक विश्व विख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हुए हैं उन्हें चारों तरह के भारत के नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मा श्री, यह सभी पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं और नागरिकों को राष्ट्र के प्रति सेवा और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित करते हैं। जिसे भारत रत्न मिलता है वह काफी ऊंचा व्यक्तित्व हो जाता है।

एक बार विश्व विख्यात मिसाइल मैन भारत के ११वें पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम बनारस से गुजर रहे थे तो उन्होंने सोचा क्यों ना उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब से मुलाकात कर ली जाए।

जब डॉक्टर कलाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब से मुलाकात करने गए तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की तबीयत खराब थी वह चारपाई पर बैठे हुए थे उन्होंने कहा डॉक्टर कलाम साहब से चारपाई पर बैठने के लिए कहा इस पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सब से कहा कि मेरी आपके बराबर बैठने की हिम्मत नहीं है जबकि राष्ट्रपति का पद अपने देश में सबसे ऊंचा पद होता है जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसी शख्सियत ऐसा कह सकती है तो हम जैसे लोगों के लिए कुछ बचता ही नहीं है।

आज के दौर में अगर किसी को तहसील स्तर में भी छोटा पद भी मिल जाए तो उसको लगने लगता है मुझसे बड़ा कोई नहीं है। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम साहब पर यह सब इस्लामी शिक्षाओं का प्रभाव था। पैगंबरें इस्लाम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारे इंसान इस तरह बराबर है जिस तरह कंघी के दांत बराबर होते हैं और फरमाया वह व्यक्ति हम में से नहीं जो बड़ों को आदर और छोटो पर दया ना करें और फरमाया जो आदमी यह चाहता है कि लोग उसके आदर और सम्मान के लिए खड़े हो जाए तो वह अपना ठिकाना नर्क में बना ले और फरमाया जिस शख्स के अंदर राई के दाने के बराबर भी अहंकार होगा वह स्वर्ग में नहीं जाएगा। (हदीस)।

जब पैगंबरें इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबियों (साथियों) से मिलने जाते अगर आपका कोई साथी आपके सम्मान के लिए खड़े होने की कोशिश करता तो आप उसे तुरंत मनाकर देते और उसे खड़ा नहीं होने देते। अल्लाह से प्रार्थना है कि वह हमें सही बातें समझ कर इसी तरह आचरण करने का सौभाग्य प्रदान करें आमीन (ऐ पालनहार ऐसा ही हो)।

अंक तथा विज्ञापन के लिए संपर्क

7620469536,9552083040

कौन सी चीज़ मुर्दो को फ़ायदा पहुँचाती है?

सवाल: कौन सी चीज मुदी को फायदा पहुँचाती है?

जवाब: मरने के बाद सिर्फ वहीं चीजें फायदा दे सकती जो अल्लाह ने अपने नबी (स.अ.) को बताया है और नबी सल्लु ने हमें बताया है। अब सवाल उठता है कि कौनसी चीज मुर्दे को सवाब पहुँचाती है। आइये इसका जवाब हदीस शरीफ में देखते हैं: दलील १:(स.अ.) ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता हैं तो उसके नेक आमाल बंद कर दिए जाते हैं सिवाय तीन ३ तरह के:सद्का-ए-जारिया(यानी अल्लाह की राह में लगाया हुआ माल जो लोगों को मुसलसल फायदा पहुंचाता रहता हैं।)जो इल्म लोगों को सिखाया हो और उससे लोग फायदा उठा रहे हो(यानी उसने अगर किसी को दीनी तालीम सिखाई हो और जब तक वह इंसान उस तालीम पर अमल करता रहता है या वह उस तालीम को दुसरे जितने भी लोगों को सिखाता हैं सबका सवाब मरने के बाद भी मिलता रहता है।)नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे दलील (जामेया तीर्मीजी शरीफ हदीस नं, १३७६) दलील २:(स.अ.) ने फरमाया:'एक शख्स का जन्नत में दर्जा बुलंद होगा, फिर वो पूछेगा कि यह कैसे हुआ, फिर उसे कहा जाएगा तुम्हारे औलाद की दुआ की वजह से जो वह तुम्हारे लिए करता है।' (सही इब्ने माजा, ३६६०) इस हदीस से मालूम हुआ की नेक औलाद की दुआ से मुर्दे को फायदा पहुँचाता है!दलील ३: (स.अ.) ने फरमाया : 'बेशक सबसे पाकीजा चीज जो इंसान खाता है वो उसके हाथों की कमाई है और उस की औलाद भी उसकी कमाई है।' (सुनन अबु दाऊद, ३५२८)इस हदीस से मालूम हुआ कि औलाद वालदैन की ही कमाई है यानी अगर औलाद कोई नेक आमाल करता हैं या अपनी कमाई मे से अल्लाह की राह मे सदका खैरात करता है तो उसका सवाब खुद ब खुद वालदैन को मिलता रहता है चाहे उसके वालदैन जिन्दा हो या फौत हो गये हो।दलील ४:'एक शख्स ने (स.अ.) से अर्ज किया कि मेरी वालीदा (माँ) का इंतेकाल हो गया है और अगर वह बोल पाती तो उन्होंने कुछ सद्का किया होता। तो अगर मैं उनकी तरफ से कुछ सद्का में दे दु तो क्या उन्हें सवाब मिलेगा आप (स.अ.) ने फरमाया, 'हाँ।' (सही बुखारी शरीफ, १३८८)इस हदीस से मालूम हुआ की अगर औलाद अपने वालदैन के लिए सद्का खैरात या जो भी नेक आमाल करता है उसका सवाब उसके वालदैन को पहुँचता है। तो नबी(स.अ.) से सिर्फ तीन ३ चीजें ही साबित है, मुर्दे को सवाब पहुँचाने के लिए। इसके अलावा जितने भी तरीके आजकल चलन में है उन सबका कुरआन और हदीस में कोई सबूत नहीं मिलता। कुछ तरीके और उसकी वजाहत:कुरआनख्वानी करवाना: कुरआन पढ़ना सवाब का काम है, लेकिन एक खास रिवाज कुरआन ख्वानी के नाम से जरूरी बना लेना, जिसमें पैसा देकर मुल्ला, मौलवी और मदरसों के बच्चों को घर में बुलाकर कुरआन शरीफ पढ़वाया जाता हैं, इस यकीन के साथ की इससे मरहूम को सवाब पहुँचेगा, तो ये तरीका नबी (स.अ.) से साबित नहीं है और न हीं आप (स.अ.) ने इसका हुक्म दिया है, बल्कि ये बिद्अत है इससे मुर्दे को कोई सवाब नहीं पहुँचता है।

लोगों का जमा होकर तस्बीहात पढ़ना:अल्लाह की तस्बीह पढ़ना सवाब का काम है, लेकिन एक खास रिवाज फातेहा के नाम से जरूरी बना लेना, जिसमें बहुत सारे लोग मय्यत के घर में जमा होकर कंकरीयो पर तस्बीह पढ़कर मुर्दे को बख्शाते हैं, ये तरीका नबी सल्लु से साबित नहीं और न ही इसका हुक्म है, बल्कि ये बिद्अत और लोगों का बनाया हुआ तरीका है। इससे मरहूम को कोई सवाब नहीं पहुँचता। दसवाँ, चालीसा या बरसी करना: गरीब को खाना खिलाना बहुत बड़ा सवाब का काम है, लेकिन इसके लिए किसी खास दिन को मुकर्रर (फिक्स) कर लेना जैसे दसवाँ (मरने के दस दिन बाद) या चालीसा (मरने के चालीस दिन बाद) या बरसी (जिस दिन इंतेकाल होता है हर साल उसी दिन को फिक्स करना), और उस खाने में अमीर लोगों को दावत देना, इस यकीन के साथ कि इससे मरहूम को सवाब मिलता है ये सब तरीका सरासर बिद्अत है इससे मुर्दे को कोई सवाब नहीं मिलता।

लीला सिखाइ करना: आजकल मुस्लिम समाज में मुर्दे की लीला सीखाइ नाम से एक रिवाज है, जिसमें लोगों को जमा करके ऐलान करना कि मुर्दे की तरफ से कितना सद्का और खैरात किया गया है। ये तरीका नबी सल्लु की हुक्म के खिलाफ है, क्योंकि इसमें रियाकारी और दिखावा होता है, इससे मरहूम को कोई सवाब नहीं पहुँचता।इसके अलावा मुर्दे को इसाले सवाब के नाम पर और भी बहुत सारे रिवाज है। जिसका शरीयत में कोई सबूत नहीं मिलता। याद रखे कि अल्लाह के यहाँ वहीं इबादत काबिले कबूल है जो नबी (स.अ.) और सहाबा किराम के तरीकों के मुताबिक की जाए। जो इबादत हम अपने तरीकों और रस्म बनाकर करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा।

ग़लत फ़हमियों की इस्लाह

बोलचाल में कुफ्री बातें आम लोग बातचीत में कुफ्र के शब्द बोल कर इस्लाम से खारिज हो जाते हैं और ईमान से हाथ धो बैठते हैं इसका ख़्याल रखना निहायत जरूरी है क्युंकि हर गुनाह की बख्शिश है लेकिन अगर कुफ्र बक कर ईमान खो दिया तो बख्शिश और जन्नत में जाने की कोई सूरत नहीं बल्कि सब दिन जहन्नम में जलना लाजिमी है। हदीस शरीफ में है कि हुजूर ने फरमाया कि शाम को आदमी मोमिन होगा तो सवेरे को काफिर और सुबह को मोमिन होगा तो शाम को काफिर। कालिमात कुफ्र कितने हैं और किस किस बात से कुफ्र लाजिम आता है इसकी तफ़सील बयान करना दुशवार है लेकिन हम अवाम भाइय्यों के लिए चन्द हिदायतें लिखे देते हैं। इन्शा अल्लाह ईमान सलामत रहेगा। (१) आप बा-अदब हो जाइये। अल्लाह तआला उसके रसूल, फरिशते, खानए काबा, मसाजिद, कुर्आने करीम, दीनी किताबें, बुजुर्गाने दीन, उलमा-ए-किराम, वालिदैन; इन सब का अदब ताजीम और महब्बत दिल में बिठा लीजिये। बा-अदब इन्सान का दिल एक खरे खोटे को परखने की तराजू हो जाता है कि न खुद उसके मुँह से गलत बात निकलती है और कोई और बके तो उसके नागवार गुजरती है। इसीलिए अनपढ़ बा-अदब अच्छा है पढ़े लिखे बे-अदब से। खुदाए तआला फ़रमाता है: तर्जमा:-जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे तो यह दिलों की परहेजगारी है।ङ

(२) हंसी मजाक तफरीह व दिललगी की आदत मत बनाइये और कभी हो तो उसमे दीनी मजहबी बातों को मत लाइये। खुदा तआला, उसकी जात व सिफात, अम्बिया-ए-किराम, फरिशते, जन्नत, दोज़ख़, अज़ाब, सवाब, नमाज, रोजा, वगैरह अहकामे शरअ का जिक्र हंसी तफ़रीह में कभी न लाइये वरना ईमान के लिए खतरा पैदा हो सकता है। शआइरे इलाहिय्यह (अल्लाह की निशानियों) के साथ मजाक कुफ्र है।

(३) बाज लोग इस किस्म की बातें सब को खुश करने के लिए बोल देते हैं जिनका बोलना और खुशी के साथ सुनना कुफ्र है। उन लोगों और ऐसी बातें करने वालों से दूर रहना ज़रूरी है। मसलन सब धर्म समान है, खिदमते ख़ल्क ही धर्म है, देश पहले है धरम बाद में है, हम पहले फ़लां मुल्क के वासी हैं और मुसलमान बाद में, इराम रहीम दोनों एक हैं, वेद व कुर्आन में कोई फ़र्क नहीं, मस्जिद व मन्दिर दोनों खुदा के घर हैं या दोनों जगह खुदा मिलता है, नमाज पढ़ना बेकार आदमियों का काम है, रोजा वह रखे जिस को खाना न मिले, नमाज पढ़ना न पढ़ना सब बराबर है, हम ने बहुत पढ़ ली कुछ नही होता है, यह सब कलिमात खालिस कुफ्र गैर इस्लामी काफिरों की बोलियां हैं जिन को बोलने से आदमी काफिर इस्लाम से खारिज हो जाता है। **आगे जारी**

आसारे क़यामत और हश्र का बयाण

फुक़्हा-दोज़ख में अज़ाब के लिए १९ फरिश्ते हैं उनके सरदार का नाम 'मालिक' है बाक़ी को 'रब्बानिया' कहा जाता है उनमें से हर एक का क़द १०० साल की राह जितना बड़ा है और जहन्नमियों को मारने के लिए उनके पास जो गुर्ज यानि हथौड़ा होगा उसके १ ज़र्ब में ७ लाख आदमी रेज़ा रेज़ा हो जायेंगे तफ़्सीरे नईमी, जिल्द १, सफह ४४/१७९ रिवायत- और 'मुसनद अहमद की हदीस' है कि अगर वो गुर्ज़ ज़मीन पर रख दिया जाये तो तमाम जिन्नात और इंसान मिलकर भी उसे उठा नहीं सकते. अहवाले बरज़ख, सफह ६७फुक़्हा-दोज़ख में सबसे पहले क़ाबील को डाला जायेगा रुहुल बयान, जिल्द १, सफह ५५६ फुक़्हा-जहन्नम में बड़े बड़े ऊंटो की तरह सांप और बिच्छु होंगे और उनके ज़हर का ये आलम होगा कि अगर एक बार काट लें तो १००० साल तक उसकी तकलीफ होती रहेगी। बहारे शरीअत, हिस्सा १, सफह ५० अहवाले बरज़ख, सफह ६०। वहां ना तो मौत आयेगी और ना ही कभी अज़ाब हल्का होगा जैसा कि 'कुर्आन' में इरशाद हुआ कि: कंजुल ईमान- और जिन्होंने कुफ्र किया उनके लिए जहन्नम की आग है, ना उनको मौत आये कि मर जायें और ना उनपर कुछ अज़ाब हल्का किया जाये पारा २२, सूरह फातिर, आयत ३६ कंजुल ईमान- जिस दिन हम जहन्नम से फरमायेंगे कि क्या तू भर गयी वो अर्ज़ करेगी कुछ और ज़्यादा हैं। पारा २६, सूरह क़ाफ, आयत ३०यानि 'मौला तआला' जहन्नमियों को जहन्नम में भेजता रहेगा और वो 'हल मिम मज़ीद' यानि 'क्या कुछ और भी हैं' यही कहती जायेगी जब सारे जहन्नमी जहन्नम में पहुंच जायेंगे और वो यही कहेगी तो 'मौला तआला' उसकी तरफ अपनी साक़ यानि क़दम बढ़ायेगा तो फौरन वो सिमट जायेगी और अर्ज़ करेगी 'क़त क़त बिइज़्ज़तिका व करामिका' यानि 'बस बस आपकी इज़्ज़त और करम का वास्ता देती हूं'

अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार
अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार
अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार
अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार
अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार
अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार
अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार

जहन्नमियों का खाना कंजुल ईमान- उनके लिए कुछ खाना नहीं मगर आग के कांटे. कि ना फरबही लायें और ना भूख में काम दें पारा ३०, सूरह ग़ाशिया, आयत ६-७ रिवायत- साहिबे मिरकात लिखते हैं कि ज़रीअ हिजाज़ में एक कांटेदार दरख़्त का नाम है जिसकी खबासत यानि बे मज़ा और बदबूदार होने की वजह से जानवर भी उसके पास नहीं फटकते और अगर जानवर खा ले तो फौरन मर जायें, आगे लिखते हैं मगर यहां ज़रीअ से आग के कांटे मुराद है जो अलुवे से ज़्यादा कड़वे मुर्दा से ज्यादा बदबूदार और आग से ज़्यादा गर्म होंगे अब्वल तो उसे खाया नहीं जा सकता और अगर भूख की वजह से खा लिया तब भी भूख दूर ना होगी और शदीद तकलीफ देगा।

बच्चों को बनाएं अच्छा गेस्ट

बच्चों को बाकी अनुशासन सिखाने के साथ ही अच्छा मेहमान बनने के गुण भी सिखाएं ताकि कभी किसी दूसरे के घर में रहने पर उन्हें असुविधा और आपको उनके व्यवहार के लिए शर्मिंदा न होना पड़े. बच्चों को अच्छा गेस्ट बनाने के लिए कौन-से रूल्स सिखाने चाहिए? बता रही हैं डॉ. सुषमा श्रीराव.

छुट्टियों में किसी रिश्तेदार के घर जाने पर शायद कई बार आपको अपने बच्चे के व्यवहार की वजह से शर्मिंदा होना पड़ा होगा या फिर गर्मी की छुट्टियों में उसे अकेले नानी/मामी या दादी के पास भेजने पर आपको इस बात का डर सताता होगा कि पता नहीं वो वहां कैसे रहेगा?

▸ अपने घर में बच्चा अक्सर सोकर देर से उठता है, मगर हो सकता है, वो जहां जा रहा है वहां ऐसा न हो. नानी के घर पर बाकी बच्चे शायद सुबह जल्दी उठ जाते हों, इसलिए अपने बच्चे को भी सुबह जल्दी उठने की आदत डालें.

▸ बच्चे को उठने के बाद अपनी चादर तह करने और बिस्तर ठीक करने की आदत लगाएं. चाहे बच्चा छोटा ही क्यों ना हो. ऐसा करने पर वो जहां जाएगा वहां उसकी तारीफ़ तो होगी ही, साथ ही लोग आपकी परवरिश की भी सराहना करेंगे.

▸ कई बच्चे, ख़ासकर जो सुबह स्कूल जाते हैं वो अक्सर बिना नहाए स्कूल चले जाते हैं. यदि आपका बच्चा भी ऐसा करता है, तो उसकी आदत बदलिए और सुबह ही नहाने की आदत लगाएं. इससे वो तरोताज़ा महसूस करेगा.

▸ आप हाउसवाइफ हों या वर्किंग वुमन, इस बात से कोई फर्क़ नहीं पड़ता, बच्चे की उम्र व क्षमता के अनुसार उसे थोड़ा-बहुत घर का काम करने के लिए कहें, जैसे एक्वागार्ड से पानी की बोतल भरना, डिनर टेबल लगाना, खाने के बाद अपने बर्तन उठाकर सिंक में डालना आदि. इस तरह के छोटे-छोटे काम बच्चों को आत्मनिर्भर व आत्मविश?वासी बनाते हैं.

सब तरह का खाना खाने की आदत डालें

खाने के मामले में बच्चे बहुत नखरे करते हैं, अतः छोटी उम्र से ही उनकी खाने से संबंधित आदत सुधारने की कोशिश करें.

खाने की टेबल पर बच्चों के नखरे किसी भी मां के लिए नई बात नहीं है. बच्चे अक्सर खाने के मामले में बहुत चूज़ी होते हैं, ये अच्छा नहीं है, वो नहीं खाना, इसका कलर कैसा है? ऐसे तमाम बहाने पैरेंट्स के लिए सिरदर्द से कम नहीं होते. यदि आपने बच्चे को हर तरह की सब्ज़ियां और खाना खाने की आदत डाली है, तो आप बधाई की पात्र हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, तो बच्चे को समझाएं कि बाहर किसी के घर जाने पर यदि उनकी पसंद का खाना या सब्ज़ी न हो, तो वहां ज़िद् करने की बजाय सामने वाले से शिष्टता से कहें कि वो चीज़ उसकी प्लेट में कम डालें, क्योंकि उसे वो पसंद नहीं है. उसका ऐसा व्यवहार सामने वाले पर भी अच्छा प्रभाव डालेगा.

▸ बच्चे को घर में ही डाइनिंग टेबल मैनर्स सिखाएं और उनका पालन करवाएं. इससे बाहर जाने पर समस्या नहीं होगी.

▸ कई बार घर पर मां के सामने खाने में नखरे करने वाले बच्चे दोस्तों/पड़ोसियों के घर पर उनकी देखादेखी में ऐसी चीज़ें भी बड़े चाव से खाने लगते हैं, जो उन्हें पसंद नहीं. अतः छोटी उम्र से ही बच्चों को समाज में घुलना-मिलना सिखाएं.

▸ चीज़ों को जगह पर रखना सिखाएं

चाहे खिलौने हों, कपड़े, क़िताबें या कोई भी सामान बच्चे इस्तेमाल के बाद यहां-वहां फेंक देते हैं. दूसरों के घर जाने पर भी वो ऐसा न करें इसके लिए उन्हें घर पर ही सभी सामान सही जगह पर रखना सिखाएं.

▸ बच्चे अक्सर खेलने के बाद खिलौने वैसे ही इधर-उधर बिखरे हुए छोड़ देते है, जिससे घर बेतरतीब लगता है. अतः उन्हें प्यार से सिखाएं कि खेलने के बाद सारे खिलौने जमा करके अपनी जगह पर वापस रख दें. खिलौनों के अलावा अन्य चीज़ें, जैसे- कपड़े, क़िताबें आदि के बारे में ऐसा ही करें. शुरू से ही ऐसा करने पर बच्चे को अपनी चीज़ें सहेजने की आदत हो जाएगी. बाहर जाने पर भी वो अपनी चीज़ें संभालकर रखेगा.

▸ बच्चे को एक बात अवश्य सिखाएं कि वो दूसरों की चीज़ें उनसे पूछे बिना ना ले. यदि वो दोस्तों के घर जाता है तो उनसे पूछे, 'क्या मैं तुम्हारे खिलौनों से खेल सकता हूं?' या 'क्या मैं यह नॉवेल पढ़ने के लिए ले सकती हूं?' ऐसा करने पर बच्चे की तारीफ़ होगी और लोग आपके दिए संस्कारों के भी कायल हो जाएंगे.

▸ बच्चों को सिखाएं अच्छी बातें

▸ बच्चे का व्यक्तित्व एक रात में नहीं बदल सकता, इसके लिए आपको रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी. पैरेंट्स को ख़ुद भी वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा, जैसा वो बच्चे से चाहते हैं. सबसे पहले बच्चे को 'थैंक यू' और 'प्लीज़' का महत्व समझाएं.

▸ बड़ों से मिलने पर 'नमस्ते' करना सिखाएं. साथ ही अन्य मैनर्स भी सिखाएं.

▸ बच्चे को महसूस होना चाहिए कि अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए, एक अच्छी मुस्कुराहट या 'हैलो' कहना ही काफ़ी होता है. यदि घर पर बच्चा इस तरह का व्यवहार करेगा, तो निश?चित ही बाहर भी वह ऐसा ही करेगा.

▸ मुश्किल में दें बच्चे का साथ

बच्चे को सब कुछ सिखाने के साथ ही आपको उसे समझना भी होगा. अतः उसकी भावनाओं को समझें और उसे ये एहसास दिलाएं कि आप हमेशा उसके साथ हैं. ▸ आजकल बच्चों के सेक्सुअल एब्यूज़ की घटनाएं अक्सर सुनने में आती हैं. अतः तसल्ली कर लें कि जिस जगह आप बच्चे को अकेला भेज रही हैं वो पूरी तरह सुरक्षित हो.

धीमा जहर हैं ये आदतें

कई आदतें हमारी सेहत पर बेहद हानिकारक प्रभाव डालती हैं। जब हम अपने इन शौक और आदतों पर गौर करेंगे, तो जान पाएंगे, कि हम अपनी जिंदगी को क्या दे रहे हैं। नजर डालते हैं, कि आप कब, कहां और कैसे, किन आदतों के शिकार हैं। उम्र के पहले पड़ाव यानि बचपन से शुरू करते हैं -

◆ **चॉकलेट** - बचपन में हर कोई चॉकलेट बिस्किट जैसी चीजें खाता है, लेकिन अधिक चॉकलेट खाने से छोटी उम्र में ही दांत खराब होने से लेकर भोजन में रूचि न होने जैसी समस्याएं होती है। इसीलिए हमें बच्चों की इन आदतों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्हें छोटी-छोटी उपलब्धीयों पर चॉकलेट दें, न कि यह प्रतिदिन उनके जीवन का हिस्सा हो।

◆ **बर्गर-पिज्जा** बच्चों से लेकर स्कूल व कॉलेज स्टूडेंट्स में पिज्जा बर्गर का क्रेज सबसे अधिक होता है। लेकिन यह क्रेज एक ऐसे शौक में तब्दील हो जाता है, जिसकी हमें आदत हो जाती है। कभी कभार या कुछ महीनों में पिज्जा और बर्गर खाना ठीक है, लेकिन आए दिन इनका सेवन हमारे शरीर और पाचन तंत्र के लिए बेहद हानिकारक है।

जब भी पिज्जा या बर्गर खाने जाते हैं, तो साथ में पानी की जगह कोका-कोला या पेप्सी जैसे पेय पदार्थों का उपयोग होता है, जो कभी भी सेहत के लिए ठीक नहीं रहे, बल्कि इससे मोटापे के अलावा लीवर में भी समस्या होती है।

◆ **धूम्रपान** - जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, शौक और आदतों में भी बदलाव आता है। ऐसे में कई बार सिगरेट, शराब, पान, गुटका आदि के शुरूआती शौक, आदत में बदल जाते हैं।

◆ **बाम या विक्स का प्रयोग** - कुछ लोगों की आदत होती है, कि बगैर सर्दी या सरदर्द के वे बाम या विक्स का प्रयोग करते हैं। कुछ लोगों को प्रतिदिन सोने से पहले सर पर बाम लगाने की आदत होती है। इसके पीछे उनका तर्क होता है, कि ऐसा करने से नींद अच्छी आती है। लेकिन असल में यह आदत आपकी लत है, जो आपको नींद लेने के लिए बाम या विक्स पर निर्भर बना रही है।

◆ **चाय या कॉफी** - बहुत अधिक थक जाने पर या अच्छे मौसम में चाय या कॉफी पीना अलग बात है, लेकिन यदि आप अपने शौक के चलते इसका अधिक सेवन करते हैं, तो यकीन मानिए, यह शौक आपके लिए ठीक नहीं है। चाय या कॉफी का अत्यधिक सेवन आपकी भूख को मार देता है, और इसके कारण भेजन का पाचन भी ठीक से नहीं होता।यही नहीं, मधेमुह और पेट संबंधी रोगों में इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए।

अचार का सेवन -

भोजन के साथ हमेशा सलाद का सेवन तो फायदेमंद है, लेकिन हमेशा अचार खाने का सौदा महंगा साबित हो सकता है। अचार जैसी चीजें केवल तब उपयोग होनी चाहिए जब भोजन का स्वाद बढ़ाना हो, या भोजन अरूचिकर लग रहा हो। हर मौसम में प्रतिदिन इसे खाना, अम्लता को बढ़ाता है। जो अचार बाजार से खरीदे गए होते हैं, उनमें सिरका, साइटिक एसिड आदि मिला होता है जिनका अधिक सेवन बेहद नुकसान दायक हो सकता है।

◆अत्यधिक सौंफ खाना -

इसमें कोई शक नहीं कि सौंफ के कई फायदे हैं, और इसका स्वाद सभी को पसंद होता है। लेकिन यदि आपको दिनभर सौंफ खाने की आदत है, तो यह आदत आयुर्वेद के अनुसार आपको बार-बार पेशाब आने की समस्या पैदा कर सकती है।

रखना है खुद को स्वस्थ तो करें गाजर का सेवन

खाने में स्वादिष्ट और कम कैलरी वाली गाजर में पौष्टिक तत्वों की बहुतायत होती है, जो आपकी सेहत को दुरुस्त रखने में मददगार साबित होते हैं. इसमें बीटा कैरोटिन, विटामिन ए, विटामिन सी, खनिज लवण, विटामिन बी १ के साथ-साथ एंटी ऑक्सिडेंट की बहुतायत होती है. अगर आप गाजर को नियमित तौर पर अपने आहार का हिस्सा बनाते हैं तो आप खुद को बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं से बचाये रख सकते हैं. गाजर का इस्तेमाल आप कच्चा या फिर पकाकर किसी भी तरह से कर सकते हैं. गाजर का इस्तेमाल केवल भोजन में ही नहीं होता, बल्कि इसका इस्तेमाल बहुत सारी दवाओं के निर्माण में भी किया जाता है.

◆ गाजर का किसी भी रूप में नियमित तौर पर सेवन करने से आपकी आंखों की रोशनी दुरुस्त रहती है. इसमें बीटा कैरोटिन की बहुतायत होती है, जो खाने के बाद पेट में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है. आंखों के लिए विटामिन ए बेहद जरूरी है, यह हम सब जानते हैं. विटामिन ए रेटिना के अंदर परिवर्तित होता है. इसके बैंगनी से दिखने वाले पिगमेंट में इतनी शक्ति होती है कि गाजर खाने से रतौंधी जैसे रोग की आशंका कम हो जाती है. यह आंखों के रोग मोतियाबिंद की आशंका को कम करता है.

◆गाजर को अपने आहार का हिस्सा बनाने से फेफड़े, ब्रेस्ट और कोलोन कैंसर का खतरा कम होता है. एक मात्र गाजर ही ऐसा खाद्य पदार्थ है, जिसमें फाल्केरिनोल नामक प्राकृतिक कीटनाशक पाया जाता है. विभिन्न सर्वेक्षणों में यह पाया गया है कि गाजर का सेवन करने से किसी भी कैंसर का खतरा एक तिहाई तक कम होता है.

◆गाजर का सेवन करने से आप पर उम्र का असर देर से नजर आता है. यह एंटी एजिंग एजेंट की तरह कार्य करता है. इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाने वाला बीटा कैरोटिन, एंटी ऑक्सिडेंट हमारे शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करता है, इससे कोशिकाओं की उम्र देरी से घटती है और शरीर पर झुर्रियां नहीं पड़तीं.

◆ गाजर में मौजूद औषधीय गुण किसी भी किस्म के संक्रमण की आशंका को कम करते हैं. आप चाहें इसका जूस पिएं या इसे उबालकर खाएं, यह फायदेमंद है.

◆त्वचा की सेहत को दुरुस्त रखने में भी मददगार साबित होता है. इसमें विटामिन सी और एंटी ऑक्सिडेंट की बहुतायत होती है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल करने से त्वचा को सूर्य की तेज रोशनी से होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाया जा सकता है. विटामिन ए की कमी की वजह से त्वचा, नाखून और बाल रूखे होने लगते हैं. अगर आप नियमित तौर पर गाजर को अपने आहार में शामिल करते हैं तो साफ सुथरी निखरी हुई त्वचा के मालिक बन सकते हैं. इसके इस्तेमाल से वक्त से पहले आने वाली झुर्रियों, रूखी त्वचा, एक्ने, पिगमेंटेशन, झांइयां, चितकबरी त्वचा आदि की समस्याओं को अपने से दूर रख सकते हैं.

६. गाजर के जूस में काला नमक, धनिया की पत्ती, भुना हुआ जीरा, काली मिर्च और नीबू का रस मिलाकर नियमित तौर पर पीने से पाचन संबंधी गड़बड़ी से तुरंत छुटकारा मिलता है.

◆. हॉर्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने एक शोध में बताया कि जो लोग सप्ताह में पांच या उससे अधिक गाजर खाते हैं, उन्हें उन लोगों के मुकाबले हार्ट अटैक का खतरा काफी कम रहता है, जो महीने में एक बार गाजर खाते हैं या कभी गाजर का सेवन करते ही नहीं है. गाजर का नियमित सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी नियंत्रित रहता है, क्योंकि इसमें मौजूद फाइबर शरीर में मौजूद पित्त के प्रभाव को कम करते हैं.

◆. विटामिन ए शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मददगार साबित होता है. गाजर में मौजूद फाइबर कोलोन की सफाई करके कोलोन कैंसर की आशंका को काफी हद तक कम करते हैं.

◆. गाजर के इस्तेमाल से दांतों की सेहत भी दुरुस्त रहती है. यह दांतों की सफाई करने के साथ साथ सांसों को स्वच्छ रखता है और मसूड़ों को मजबूत करता है.

१०. अगर त्वचा कहीं जल गई हैतो प्रभावित हिस्से पर बार-बार गाजर का रस लगाने से अराम मिलता है. खुजली की समस्या से परेशान हैं तो गाजर को कद्दूकस करके उसमें नमक मिलाकर खाने से आपको इस समस्या से मुक्ति मिलेगी.

गट्टू की जगह सड़क को कंक्रीट करने की मांग

संग्रामपुर -

सीमेंट कंक्रीट सड़क बनाने के बजाय गट्टू सड़क बनाने का काम शुरू होने पर पातुर्डा के नागरिकों में रोष फैल गया है। पश्चिम विदर्भ–खानदेश को जोड़ने वाला तथा मुक्ताईनगर, अकोट, दर्यापुर, अमरावती की ओर जाने वाले यात्रियों व भारी वाहनों के लिए महत्त्वपूर्ण इस राज्य महामार्ग पर पातुर्डा में राधाकृष्ण मंदिर के सामने गट्टू कार्य शुरू किया गया है। लगभग २०० मीटर अधूरे हिस्से पर गटटू डालकर काम शुरू होने के बाद स्थानीय लोगों ने इसे अस्थायी और कमजोर बताते हुए कड़ा विरोध जताया है। नागरिकों का कहना है कि इस मार्ग पर भारी वाहनों की लगातार आवाजाही रहती है, जिससे गट्?टू सड़क जल्दी खराब होगी और दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ेगी। ग्रामीणों ने सार्वजनिक बांधकाम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मौके का निरीक्षण कराकर ठेकेदार से यह काम तुरंत बंद करवाने तथा पूरे मार्ग का कंक्रीटीकरण करने की मांग की है।

नागरिकों द्वारा सड़क के कंक्रीटीकरण के लिए ग्रामपंचायत प्रशासन को प्रस्तुत निवेदन प्राप्त हुआ है। ग्रामपंचायत ने नागरिकों की मांग को सही मानते हुए इसे सार्वजनिक बांधकाम विभाग को लिखित रूप में सूचित किया है। सड़क के कंक्रीटीकरण के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे और आवश्यक पाठपुरावा किया जाएगा।

– रणजीत गंगातिरे,
सरपंच, ग्राम पंचायत पातुर्डा

नागरिकों का कहना है कि बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए सड़क की क्षमता जाँचकर मजबूत सीमेंट कंक्रीट सड़क बनाई जाए। साथ ही निर्माण काल में यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रैफिक डायवर्ट की व्यवस्था भी की जाए। टिकाऊ सड़क निर्माण की यह मांग रामेश्वर भड, गजानन बोदडे, अजय राहाटे, दिनकर इंगळे, श्रीकृष्ण मोहनकर, विलास भड, अक्षय अढाव, कपिल गवई सहित अन्य ग्रामीणों ने की है।

आधी रात लगी आग में किसान का नुकसान

संग्रामपुर:

तहसील के वकाना गांव में ९ दिसंबर, मंगलवार की आधी रात अचानक लगी आग में किसान मोहन रामदास उगले का लगभग एक लाख रुपये से ज्यादा का नुकसान हो गया। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है, हालांकि शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है।मिली जानकारी के अनुसार, मोहन उगले का टिन की छत वाला तीन कमरों का घर है। देर रात एक कमरे से धुआँ उठता देख पड़ोसियों ने तुरंत उगले परिवार को आवाज देकर सतर्क किया। कुछ ही देर में आसपास के लोग मौके पर पहुँच गए और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक घर में रखा ४० हजार रुपये नकद, करीब ६ क्विंटल सोयाबीन, लगभग ३० हजार के कपड़े, घरेलू सामान और बच्चों की शैक्षणिक सामग्री जलकर राख हो गई। बुधवार सुबह महसुल अधिकारी भिसे ने घटनास्थल पर पहुँचकर पंचनामा किया।

जल्द मिलेगी सहायता- तहसीलदार पाटील

वकाना में लगी आग की जानकारी मिलते ही तहसीलदार प्रशांत पाटील ने महसुल विभाग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। उन्होंने बताया कि सरकारी नियमों के अनुसार आग से प्रभावित किसान उगले को तात्कालिक अनुग्रह सहायता जल्द ही वितरित की जाएगी।

मुस्लिम उर्दू स्कूल में यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया

संग्रामपुर:

अल-हुदा वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी, मालेगांव, जिला नासिक द्वारा संचालित मुस्लिम उर्दू हाई स्कूल में यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के प्रति विद्यार्थियों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से एक यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यातायात पुलिस निरीक्षक ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और सुरक्षा नियमों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस कार्यक्रम में पोस्टर प्रतियोगिता, सेमिनार, सड़क पार करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण और दुर्घटना निवारण पर वीडियो प्रस्तुति शामिल थी। छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार भी दिए गए। विद्यालय प्रशासन और विशेष रूप से प्रधानाचार्य श्री अहमद हसन ने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियाँ बच्चों में अनुशासन और जिम्मेदार नागरिक बनने की भावना पैदा करती हैं।

इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष रूप से शहजाद अहमद खान सर और साजिद इकबाल सर ने पूरा सहयोग दिया। कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

उप विभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी, आकोट यांचे कार्यालय
कार्यालयाचा दुरध्वनी संदेश व फॅक्स क्रमांक ०७२५८-२२२६७४
ई -मेल sdo.akot@rediffmail.com

क्र./उविअ/भुसं/एल.ए.क्यु ४७/१४/शहापूर कारला/२०२१-२०२२/ ६०२ दिनांक-८/१२/२०२५

भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. अन्वये.

कलम ११ ची अधिसुचना

भुसंपादन प्रकरण क्रमांक LAQ - ४७/१४/ शहापूर कारला/२०२१-२०२२

ज्याअर्थी, भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकिय अधिसुचना, महसुल व वन

विभाग क्र.संकिर्णक ११/२०१४ प्र.क्र.७७/अ-२ दि. १९ जानेवारी, २०१५ (यात या पुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला आहे.) याव्दारे असे अधिसुचीत केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखादया जिल्हयातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमिन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचीत शासन असल्याचे मानण्यात येईलः आणि

ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमिन (या पुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, (ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसुची दोनमध्ये दिलेले आहे) आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसुचीत

करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे: आणि

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाचे महसूल व वनविभागाकडील शासन राजपत्र असाधारण क्रं.३२ दिनाक २५ फेब्रुवारी २०२२ अंतर्गत भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ महाराष्ट्र राज्यास लागू असतांना त्यांच्या कलम १० (क) मध्ये अशी तरतूद केली आहे की, राज्य शासनास सार्वजनिक हितासाठी शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासुन कलम १०(क) मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही प्रकल्पाना सुट देता येईल त्यानुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम १०(क) द्वारे प्रदान केलेल्या आणि या बाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे जनहितासाठी उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनच्या व प्रकरण तीनच्या तरतुदीलागू करण्यापासून उक्त प्रकल्पाला सुट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी

समाजीक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाहीः आणि

ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल, सोबत जोडलेल्या अनुसुची पाच मध्ये दिलेला आहे.

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल, त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची, कारणे लेखी नमुद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईलः

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा तीची मा. जिल्हाधिकारीकडुन भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ (यात या पुढे त्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च उपनियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भुमिअभिलेखाच्य

अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करीत आहेत.

तसेच उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, अकोला उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी अकोट यास पदनिर्देशीत केले आहे.

अनुसुची एक

जमिनीची वर्णन

भुसंपादीत जमीनीचे वर्णनः शहापुर बृहत लघु पाटबंधारे योजना प्रकल्पा अंतर्गत मुख्य धरणाचे बांधकामाकरीता

भुसंपादन प्रकरण क्रमांक LAQ - ४७/१४/ शहापूर कारला/२०२१-२०२२

अ. क्र	सर्व्हे नं/ गट नं	अंदाजित क्षेत्र (हे.आर) संयुक्त मोजणीनुसार	७/१२ नुसार भूधारकाचे नाव	प्रकरणाचा तपशिल
1	2	3	5	6
1.	75	0.03	मनकर्णबाई देवराव कोल्हे व इतर ३	शहापुर बृहत लघु पाटबंधारे योजना प्रकल्पा अंतर्गत मुख्य धरणाचे बांधकामाकरीता भुसंपादन प्रकरण क्रमांक LAQ - ४७/१४/ शहापूर कारला/२०२१-२०२२
2.	79	0.02	रेहनाबी शे.महेबूब पटेल	
	एकुण	0.05		

गांव - मौजे शहापूर कारला ता. आकोट जि. अकोला

अनुसुची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नांव- शहापुर बृहत लघु पाटबंधारे योजना

प्रकल्पकार्याचे वर्णन - शहापुर बृहत लघु पाटबंधारे योजना प्रकल्पा अंतर्गत मुख्य धरणाचे बांधकामाकरीता

समाजाला मिळणारे लाभ- महाराष्ट्र शासनाचे विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपुर यांचेकडील पत्र क्र.विपाविम/कांता-७(२)/७८६/धाक्र.(२८१/२)२०१७/ शहापूरबृ. ल. पा./पथम सुप्रमा/ २०१७ दिनांक १८/०३/२०१७ अन्वये रु.२२३४१.२३७ लक्ष यास मान्यता प्राप्त असून सदर मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे १३७६ हे.क्षेत्र सिंचन योजनेत समाविष्ट असुन, यासाठी होणार पाणीसाठा ७.७९ द.ल.घ.मी. पाणी सिंचन प्रयोजनासाठी उपयोगात येईल व त्यामुळे भुधारक शेतक-यास सिंचनाची सोय होऊ शकेल.

अनुसूची- तीन

बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे -

सदर प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्रामुळे कोणतेही गाव बाधीत होत नाही.

अनुसूची - चार

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाचे महसूल व वनविभागाकडील शासन राजपत्र असाधारण क्रं.३२ दिनाक २५ फेब्रुवारी २०२२ अंतर्गत भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ महाराष्ट्र राज्यास लागू असतांना त्यांच्या कलम १० (क) मध्ये अशी तरतूद केली आहे की, राज्य शासनास सार्वजनिक हितासाठी शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन कलम १०(क) मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही प्रकल्पाना सुट देता येईल त्यानुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम १० (क) द्वारे प्रदान केलेल्या आणि या बाबतीत त्यास सम थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे जनहितासाठी उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनच्या व प्रकरण तीनच्या तरतुदीलागू करण्यापासून उक्त प्रकल्पाला सुट देण्यात आली आहे.

अनुसुची - पाच

विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती निरंक

सही

दिनांक - ८/१२/२०२५
ठिकाण - अकोट

(मनोज लोणारकर)
उपविभागीय अधिकारी तथा
भूसंपदान अधिकारी आकोट

जा.क्र./जिमाका/ अकोला/ जाहिरात/ १२६/ २०२५

हरियाणा: सरकारी योजनाओं से जुड़े कामगारों का वादाखिलाफी का आरोप, कहा- सिर्फ चुनाव में याद आती है

नई दिल्ली-
मेरे घर में बच्चा बीमार है, उसकी दवाई के पैसे नहीं हैं. बीते तीन महीने से सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया, काम और बढ़ा दिया है. कुछ बोलो तो नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं, क्या सरकार को हमारी याद सिर्फ चुनाव के समय वोट के लिए आती है. ये दर्द हरियाणा के एक मिड डे मिल कार्यकर्ता का है, जो अपने घर में अकेले कमाने वाली महिला हैं और बीते कई महीने से मानदेय न मिलने से परेशान हैं. वे अपने बीमार बच्चे को घर पर छोड़कर, आठ दिसंबर को प्रदेशव्यापी मिड डे मिल कार्यकर्ताओं के महापड़ाव प्रदर्शन में हिस्सा लेने पहुंची थीं, जिससे उन्हें उम्मीद है कि शायद उनका पैसा जल्दी मिल जाए. हरियाणा के लगभग हर ज़िले में महिला स्कीम वर्कर्स, जिसमें आंगनबाड़ी, मिड डे मील और आशा कार्यकर्ता-सहायिका (जो आशा कार्यकर्ताओं की उनके काम में मदद करती हैं) शामिल हैं, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं. इसी कड़ी में इन कार्यकर्ताओं ने ६-८ दिसंबर के बीच सड़क से लेकर केंद्रीय मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसदों के कार्यालयों के बाहर धरना दिया, ज्ञापन सौंपे और डबल इंजन सरकार को उनके चुनावी वादों की याद भी दिलाई. प्रदर्शन में शामिल कई मिड डे मील कार्यकर्ताओं ने द वायर हिंदी को बताया कि वे समाज के सबसे गरीब तबकों से काम करने आती हैं. फिर भी इस आसमान छूती महंगाई में उन्हें केवल सात हज़ार रुपये प्रतिमाह मिलता है और वो भी साल में सिर्फ दस महीने. इस पैसे में वे जैसे-तैसे गुजारा करने को मजबूर हैं. लेकिन सरकार उन्हें ये पैसे भी समय से नहीं दे रही. ऐसे में उनके पास प्रदर्शन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है.इस संबंध में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स के हरियाणा महासचिव जय भगवान बताते हैं, 'पूरे हरियाणा में करीब ३० हज़ार मिड डे मिल कार्यकर्ता हैं, जिन्हें अक्सर ही मानदेय को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है. कभी तीन, तो कभी छह महीने बाद इन्हें पैसे मिलते हैं. सालों से इस सरकारी योजना से जुड़ने के बावजूद इनके काम को लेकर कोई सुरक्षा नहीं है.' जयभगवान आगे बताते हैं कि नए लेबर कोड स्कीम वर्कर्स के लिए और मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं. कहां तो ये लोग न्यूनतम वेतन और स्थाई करने की मांग कर रही हैं, और कहां अब सरकार नए कानून में इन सबकी धज्जियां उड़ा रही है. जब चुनाव आते हैं, तो सरकार महिलाओं को लेकर तमाम वादे कर देती है. बिहार में उनके खाते में चुनाव से पहले ही पैसे भी पहुंचा दिए गए, लेकिन जो महिलाएं सालों से सरकारी योजनाओं से जुड़ी हुई हैं. उनके लिए सरकार के पास कुछ नहीं है. इस प्रदर्शन में शामिल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुष्पा दलाल कहती हैं, 'मोदी सरकार ने २०१८ में हमारा मानदेय बढ़ाने का वादा किया था, जो आज तक नहीं मिला. सुप्रीम कोर्ट ने लंबी लड़ाई के बाद ग्रेच्युटी का हक़ दिया, वो भी अभी तक लागू नहीं हुआ. और ये सरकार महिला हितैषी होने का दावा करती है. ये सब चुनाव का खेल है.' इसी तरह रूपा बताती हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं लेकिन सरकार कोई भर्ती नहीं कर रही. जो महिलाएं काम कर रही हैं, उन्हीं पर काम का बोझ बढ़ा दिया जा रहा है. आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन तक उपलब्ध नहीं है, सारी खाना-पूर्ती सिर्फ कागज़ों पर करवाई जा रही है. 'सरकार सारे काम डिजिटल मोड में चाहती है, लेकिन उसके लिए कोई सुविधा नहीं दे रही' बिजनेश का कहना है कि सरकार सारे काम डिजिटल मोड में करवाना चाहती है, लेकिन उसके लिए कोई सुविधा नहीं दे रही. पोषण ट्रैकर ऐप स्मार्ट फोन में खुलते हैं, लेकिन सरकार ने जो फोन कार्यकर्ताओं को

उपलब्ध करवाए हैं, उनमें ये सही से काम ही नहीं कर पाते. कार्यकर्ता अपने घर से पैसे लगाकर फोन ले रही हैं. किसी ऐप या ऑनलाइन काम के संबंधी उन्हें कोई बेसिक ट्रेनिंग भी नहीं दी गई.' बिजनेश आगे बताती हैं, 'जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता फील्ड में काम करने जाती हैं, तो लाभार्थी उन्हें ओटीपी नहीं देते, ये सोचकर कि हमारे बैंक खाते के साथ कोई फ्रॉड न हो जाए. इसके अलावा ३०-४० मिनट के बीच में एक फोटो कैप्चर होता है, लाभार्थी इतना समय नहीं देना चाहते. आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन और सिलेंडर की सुविधा समय से नहीं आती, जिसके चलते हम कार्यकर्ता लोगों के गुस्से का भी शिकार होते हैं.' आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन के अनुसार, हरियाणा में करीब २५ से २६ हज़ार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं.

(पृष्ठ १ पर से..)

मनरेगा योजना का नाम बदल सकती है मोदी

१०० दिन रोजगार दिया जाता है. यह कार्यक्रम देश के ग्रामीण परिवारों को आर्थिक स्थिरता और आजीविका देने वाले सबसे बड़े सरकारी फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है. पूरी योजना का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से किया जाता है.अब इस योजना का नाम बदलने की तैयारी है. ऐसा माना जा रहा है कि केबिनेट बैठक में इस फैसले पर मुहर लग सकती है. मनरेगा को नरेगा के नाम से भी जाना जाता है.कैबिनेट में किन-किन प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल २०२५: श्उर्ईंका नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है, जिससे योजना को नई पहचान मिल सकती है. कैबिनेट बैठक में ही न्यूक्लियर एनर्जी बिल को मंजूरी मिल सकती है. इस उद्देश्य—परमाणु ऊर्जा का सुरक्षित और प्रभावी विस्तार करना है.विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल २०२५: शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधारों वाले इस बिल को भी मंजूरी मिलने की संभावना है. इसका लक्ष्य—शिक्षा व्यवस्था को विकसित भारत के विज़न से जोड़ना है.

पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन

समय देश के गृहमंत्री शिवराज पाटिल ही थे. सुरक्षा में चूक को लेकर काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था. यही वजह है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके साथ ही पाटिल ने स्वीकार किया था कि हमले को रोकने में नाकाम रहे हैं.शिवराज पाटिल का जन्म १२ अक्टूबर १९३५ को लातूर जिले के चाकुर में हुआ था. उन्होंने साल १९६७ से १९६९ तक लातूर नगर निगम में काम किया. शिवराज पाटिल ने न सिर्फ इंदिरा गांधी बल्कि राजीव गांधी की सरकार में भी महत्वपूर्ण विभागों का काम संभाला था. इसके अलावा वह साल १९९१ से १९९६ तक लोकसभा के स्पीकर रहे. उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएशन और मुंबई यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की थी.

महाराष्ट्र की राजनीति में बन रही नई केमिस्ट्री, बीजेपी-शिंद

एक मंच पर आएंगे? उधर, कल १२ दिसंबर को शरद पवार का जन्मदिन है. और उससे पहले ही पुणे की सड़कों पर लगे बैनर चर्चा में हैं. बैनरों पर शरद पवार और अजित पवार दोनों की तस्वीरें, साथ में घड़ी का चुनाव चिन्ह बना है. इन बैनरों को राष्ट्रवादी अजित पवार गुट के कार्यकर्ताओं ने लगाया है. विशेष रूप से करण गायकवाड़, जो गुट के अहम पदाधिकारी हैं. पूरे पुणे में ये बैनर लगे हैं, जिसने राजनीतिक संकेतों को और गहरा कर दिया है.इसके अलावा, अजित पवार हाल ही में बहरीन भी गए थे, जहां उनके भतीजे युगेंद्र पवार की शादी थी. याद रहे कि युगेंद्र ने २०२४ विधानसभा चुनाव शरद पवार के कहने पर अजित पवार के सामने लड़कर सुर्खियां बटोरी थीं. यह मुलाकातें और पारिवारिक समीकरण अब नई व्याख्याओं को जन्म दे रहे हैं.एक तरफ बीजेपी और शिंदे सेना गठबंधन एक बार फिर मजबूत होता दिख रहा है. दूसरी तरफ शरद और अजित पवार के समीकरण नए संकेत दे रहे हैं. क्या यह चुनाव से पहले नए समीकरणों का संकेत है? क्या गठबंधन और रिश्ते दोनों दिशाओं में फिर से नए तरीके से लिखे जा रहे हैं? इन सवालों ने महाराष्ट्र की राजनीति इस समय सबसे दिलचस्प मोड़ दिया हुआ है.

कार्तिगई दीपम को लेकर लोकसभा में हंगामा,

कार्यवाही अपराह्न २ बजे तक के लिए स्थगित कर दी.इस बीच तमिलनाडु सरकार ने एक दरगाह के पास स्थित मंदिर में कार्तिगई दीपम प्रज्वलित करने की अनुमति देने संबंधी मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपरमकुंद्रम स्थित एक शिला दीप स्तंभ दीपथून में अरुलमिघु सुब्रमणिय स्वामी मंदिर के श्रद्धालुओं को परंपरागत कार्तिगई दीपम प्रज्वलित करने की अनुमति देने संबंधी मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए ५ दिसंबर को अपनी सहमति जताई थी.वहीं मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने ४ दिसंबर को मदुरै के जिला कलेक्टर और पुलिस आयुक्त की ओर से दाखिल एक अपील खारिज कर दी थी, और एकल न्यायाधीश के आदेश को उस बरकरार रखा, जिसमें श्रद्धालुओं को कार्तिगई दीपम प्रज्वलित करने की अनुमति दी गई थी.लेकिन इस आदेश का क्रियान्वयन नहीं हुआ, तब एकल न्यायाधीश ने ३ दिसंबर को एक और आदेश पारित कर श्रद्धालुओं को खुद ही दीप प्रज्वलित करने की अनुमति दे दी. साथ ही केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.मामला दिल्ली तक पहुंच गया. हफ्ते की शुरुआत में, डीएमके, कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों ने उक्त आदेश देने वाले जज जीआर स्वामीनाथन को पद से हटाने का प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दिया. आरोप लगाया गया कि जज का आचरण न्यायपालिका की निष्पक्षता, पारदर्शिता और धर्मनिरपेक्ष कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है. जज के खिलाफ आए प्रस्ताव के विरोध में ५० से अधिक पूर्व जजों ने उनका समर्थन किया है.

महाभियोग मामले में जस्टिस स्वामीनाथन के समर्थन में आए

तमिलनाडु राज्य के मदुरै शहर से १० किमी दूर दक्षिण में स्थित भगवान मुरुगन के छ: निवास स्थानों में से एक है. थिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित सुब्रमण्यस्वामी मंदिर का इतिहास छठी शताब्दी तक जाता है. यहां की ऊपरी चोटी पर लंबे समय से कार्तिगई पीपम जलाया जाता जा रहा है. ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजी शासन के समय इस पर कुछ लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की थी. १७वीं शताब्दी में सिक्कंदर बधूषा दरगाह का निर्माण हो गया. इसके बाद से ही विवाद शुरू हो गया.

कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट पर

गिरफ्तार कर लिया है. इन आरोपियों के पूर्वांचल के बाहुबली नेता धनंजय सिंह और सुशील सिंह के साथ भी कनेक्शन होने की बात सामने आई है.ळइ एऊइ ने अब ८७ ईंई और कई गिरफ्तारियां की हैं. वहीं १२ दिसंबर को ॅ ने २५ ठिकानों पर छापे मारे हैं. वहीं ̄ज्इए एक्ट, ̈ज्ए, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया गया है.

'घर आओ शादी की बात करनी है', बीटेक छात्र को बुलाया, प्रेमिका के माता-पिता ने पीट-पीटकर कर दी हत्या

इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची अमीनपुर थाने की पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने मौका-ए-वारदात से क्रिकेट बैट भी बरामद कर लिया है. पुलिस का कहना है कि मामले में हमले के मकसद की जांच की जा रही है. साथ ही इस वारदात में माता-पिता के अलावा और कौन-कौन शामिल था, इस बात की भी जांच की जा रही है.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने साढ़े पांच साल में

कि यह प्रक्रिया बैंकों के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के साथ-साथ बैंकों के बोर्डों की एनपीए को बट्टे खाते में डालने की नीति का पालन करती है, जिसमें वे एनपीए भी शामिल हैं जिनके लिए चार वर्ष पूरे होने पर पूर्ण प्रावधान किया जा चुका है.उन्होंने कहा, 'इस तरह की बट्टे खाते में डालने से उधारकर्ताओं की ऋण चुकाने की देनदारी माफ नहीं होती है.'उन्होंने यह भी जोड़ा कि बट्टे खाते में डाले गए ऋणों की वसूली एक सतत प्रक्रिया है और बैंक उधारकर्ताओं के खिलाफ उपलब्ध विभिन्न वसूली तंत्रों के तहत शुरू की गई वसूली कार्रवाइयों को जारी रखते हैं, जैसे कि दीवानी अदालतों या ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी) में मुकदमा दायर करना, एसएआरएफएएसआई अधिनियम २००२ (यह कानून बैंकों और वित्तीय संस्थानों को बिना अदालत की मध्यस्थता के फंसे हुए कर्ज वसूली करने और गिरवी रखी संपत्तियों (जैसे घर, दुकान) पर कब्ज़ा करने की शक्ति देता है) के तहत कार्रवाई, दिवालियापन कानून, २०१६ (किसी ऋणी के दिवालिया होने पर एक निश्चित प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसकी परिसंपत्तियों को अधिकार लेना) के तहत राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में मामले दर्ज करना आदि. चूंकि बैड लोन के लिए प्रावधान पहले ही किया जा चुका है और इस राइट-ऑफ प्रक्रिया में कोई वास्तविक कैशफ्लो शामिल नहीं है, इसलिए बैंक की लिक्विडिटी पर कोई असर नहीं पड़ता.

प्रदूषण पर सरकार और हमारे बीच पूरी सहमति होगी: राहुल

की जनता के भविष्य के बारे में बात करते हैं।'वहीं लोकसभा के बाहर मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली का और बड़े शहरों का जो प्रदूषण है उस पर मैंने बात की। ये एक ऐसा विषय है जिसमें सभी पार्टियां सहमत हो सकती हैं कि हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है, लोगों को कैंसर हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं। मैंने सदन में सुझाव दिया कि हमें सदन में प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए और दूसरे तरह से चर्चा करनी चाहिए। इस विषय पर हमें एकमत होना चाहिए कि हम भविष्य की बात करेंगे और इस समस्या को हल कैसे किया जाए उस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि विशेषज्ञों की भी राय लेंगे और हम देश को दिखाएंगे कि हम प्रदूषण के विषय पर एक साथ काम कर सकते हैं।

प्रदूषण पर ध्यान देने की जरुरत, सरकार को तैयार करना होगा प्लान, लोकसभा में बोले राहुल गांधी

आजकल ऐसे ज्यादा मुद्दे नहीं हैं जिन पर सरकार और पूरा विपक्ष सहमत हो सके.'प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी वायु प्रदूषण को लेकर कहा कि वायु प्रदूषण पर चर्चा के लिए सभी सहमत हैं, सिर्फ चर्चा न हो ठोस नतीजा भी निकले. प्रदूषण का स्तर हर साल लगातार बढ़ता जा रहा है.उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि सरकार को संसद में इस मसले पर चर्चा करनी चाहिए. हमें कोशिश करनी चाहिए कि यह ऐसी चर्चा न बने जिसमें हम आपको गाली दें और आप हमें गाली दें. मुझे लगता है कि हमें इसे ऐसी चर्चा करनी चाहिए जिसमें हम सभी हिस्सा लें, हम देश को दिखाएं कि इस बुनियादी मसले पर आपसी सहमति है और इस मुद्दे को हल करने के लिए सबसे अच्छे दिमाग लगाए जाएंगे.'राहुल गांधी ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि यह अच्छा होगा अगर हम इस पर विस्तार से चर्चा करें और फिर प्रधानमंत्री हर शहर के लिए एक खास प्लान तैयार करें ताकि अगले ५ या १० सालों में, शायद हम समस्या का समाधान न कर पाएं, लेकिन हम समस्या का हल कैसे निकालेंगे और अपने लोगों की जिंदगी कैसे आसान बनाएंगे.'लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के सुझाव पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'सरकार ने पहले दिन से ही अपनी बात साफ कर दी थी कि सभी जरूरी मामलों पर, सरकार चर्चा करने और राहुल गांधी की अगुवाई वाली मुख्य विपक्षी पार्टी सहित सभी सदस्यों के सुझावों को साथ लेकर समाधान निकालने के लिए तैयार है.' उन्होंने यह भी कहा कि अलग-अलग कानूनों और नियमों के तहत, हम देखेंगे कि हम इस चर्चा को कैसे आगे बढ़ाएंगे.

शुक्रवार स्पेशल: 'वह शख़्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके उपद्रवों से उसका पड़ोसी सुरक्षित न हो।'

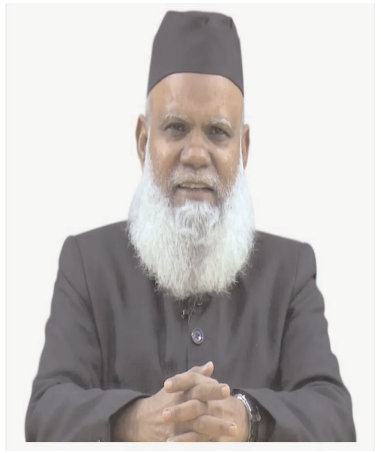

पड़ोसी को कष्ट पहुँचाने के बहुत से रूप हो सकते हैं - मौलाना रज़िउल इस्लाम नदवी

हज़रत अबू-शुरैह खुज़ाई (रज़ि०) रिवायत करते हैं कि एक बार अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम ने सहाबियों की सभा में इरशाद फ़रमाया कि 'अल्लाह की कसम, वह शख्स मोमिन नहीं, अल्लाह की क़सम, वह शख़्स मोमिन नहीं, अल्लाह की क़सम, वह शख्स मोमिन नहीं।'

सहाबियों ने पूछा कि अल्लाह के रसूल। कौन? आप सअव्. ने फ़रमाया कि 'जिस शख़्स के उपद्रवों से उसका पड़ोसी सुरक्षित न हो।' (सही बुखारी: ६०१६)

दूसरी जगह ये शब्द हैं कि 'वह शख़्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके उपद्रवों से उसका पड़ोसी सुरक्षित न हो।' (सही मुस्लिमः ४६)

इस हदीस की व्याख्या में अल्लामा कुरतुबी (मृत्यु ७६१ हि०) ने लिखा है कि 'नबी ए करीम सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम ने तीन बार क़सम खा कर पड़ोसी को कष्ट देने वाले के मोमिन होने का इनकार किया है। इसका अर्थ यह है कि वह सम्पूर्ण ईमान वाला नहीं। इसलिए मोमिन को चाहिए कि वह अपने पड़ोसी को तकलीफ़ पहुँचाने से बचे और उस काम से रुक जाए जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है और वह काम करे जिसे उन्होंने पसन्द किया है और बन्दों को उस पर उभारा है।' (अहकामुल-कुरआनः ६/३०४)

अल्लामा इब्ने-हजर अस्कलानी (रह०) फ़रमाते हैं कि 'हदीस में 'बवाइक़' का लफ़्ज़ आया है, जो 'बायका' का बहुवचन है। इसका अर्थ जुल्म, उपद्रव और विनाशकारी चीज़ है।' (फ़तहुल-बारी: १०/४४३)

पड़ोसी को कष्ट पहुँचाने के बहुत से रूप हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर यह कि घर के बाहर कूड़ा-करकट डाल दिया जाए।

गन्दगी घर के कोने में ऐसी जगह रखी जाए कि बदबू उसके घर तक पहुँचे।

रसोई ऐसी जगह बनाई जाए कि धुआँ उसके घर में जाए।

दरवाज़े पर गाड़ी इस तरह खड़ी की जाए कि उसे आने-जाने में परेशानी हो।

टीवी या रिकॉर्डिंग इतनी तेज़ आवाज़ में बजाई जाए कि उसके घर तक आवाज़ पहुँचे।

जनरेटर ऐसी जगह चलाया जाए कि उसकी आवाज़ से वह परेशान हो।

एयर कंडीशन ऐसी जगह लगाया जाए कि उसकी गर्मी उसके लिए तकलीफ़ पहुँचानेवाली हो।

इस तरह की और भी बहुत सी सूरतें हो सकती हैं।

पड़ोसी से बदसुलूकी भी नहीं की जाना चाहिए,

वे नेक कर्मों के व्यर्थ हो जाने का कारण बन सकती है। हदीस शरीफ़ से मालूम होता है कि कोई व्यक्ति चाहे जितना बड़ा धार्मिक हो, रोज़े और नमाज़ का पाबन्द हो, खूब सदक़ा व खैरात (दान) करता हो, लेकिन अगर उसके दिए कष्टों से उसके पड़ोसी सुरक्षित न हों तो उसकी वह व्यक्तिगत नेकियाँ उसके काम नहीं आएँगी, वह अल्लाह के ग़ज़ब का पात्र होगा और उसे नरक में डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर उसके सामाजिक सम्बंध बेहतर हों और वह अपने पड़ोसियों को कष्ट न पहुँचाता हो तो चाहे उसकी व्यक्तिलात नेकियाँ कम हों और अल्लाह के अधिकारों की अदायगी में उसने कुछ कमी की हो, लेकिन अल्लाह अपनी उदारता से उसे माफ़ कर देगा और उसे जन्नत में दाखिल कर देगा।

हज़रत अबू-हुरैरा (रजि.) से वर्णित है कि एक शख़्स ने सवाल किया कि 'ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम! फुलाँ औरत के बहुत ज्यादा नमाज़ पढ़ने, सदक़ा करने और रोज़े रखने के चर्चे हैं, लेकिन वह अपनी पड़ोसनों को अपनी जुबान से तकलीफ़ पहुँचाती है।'

नबी रहमते दो आलम सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि 'वह औरत जहन्नम में जाएगी।' उस शख्स ने कहा कि 'ऐ अल्लाह के रसूल सअव्.! फुलाँ औरत का ज़िक्र लोगों में इस हैसियत से है कि वह कम रोज़े रख पाती है, कम सदक़ा कर पाती है, कम नमाज़े पढ़ पाती है, वह सिर्फ़ पनीर के चंद टुकड़े ही सदक़ा कर पाती है, लेकिन वह अपनी पड़ोसनों को तकलीफ़ नहीं पहुँचाती।'

नबी सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि'वह औरत जन्नत में जाएगी।' (मुस्नद अहमदः ९६७५, सही इब्न हिब्बान: ५७६४)

इस हदीस में औरत का ज़िक्र उदाहरण के रूप में आया है। कोई भी व्यक्ति, चाहे मर्द हो या औरत, अगर अपने पड़ोसी से बदसुलूकी करेगा और उसे तकलीफ़ पहुँचाएगा तो उसे क़ियामत के दिन उसकी सज़ा मिलकर रहेगी, और अगर वह पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करेगा तो अल्लाह उसे पुरस्कार और प्रतिफल प्रदान करेगी। हदीस में कष्ट का बहुत हल्का दर्जा बयान किया गया है, यानी जुबान से तकलीफ़ पहुँचाना। अगर पड़ोसी को कष्ट पहुँचाने के इससे बढ़कर रूप अपनाए जाएँगे तो उनका वबाल (पाप/बोझ) भी ज़्यादा होगा।

पड़ोसी को कष्ट पहुँचाने का गुनाह भी ज़्यादा बताया गया है और यह भी कि कोई ग़लत काम किसी भी इनसान के साथ किया जाए, गलत है।गाली-गलौज, मारुपी, लड़ाई-झगड़ा किसी के साथ भी किया जाए, यह अशोभनीय काम हैं। चोरी किसी के घर में भी की जाए, बड़े गुनाह का काम है। व्यभिचार किसी के साथ भी किया जाए, सख्त़ दंडनीय जुर्म है। लेकिन अगर यह काम किसी पड़ोसी के साथ किए जाएँ तो उनका वबाल (पाप/बोझ) बढ़कर है। इसलिए कि पड़ोसी भरोसेमंद और मददगार होता है। दूसरे जुल्म करें तो उम्मीद की जाती है कि वह दौड़कर आएगा और समर्थन और रक्षा करेगा। लेकिन अगर वही जुल्म और अत्याचार करने लगे तो ऐसे समाज को तबाह और बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता।

अल्लाह के रसूल रहमते दो आलम सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम ने इस बात पर बहुत ज़ोर दिया है।

हज़रत मिक़दाद-बिन-असवद (रज़ि०) बयान करते हैं कि एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से पूछा कि 'व्यभिचार के बारे में आप ऐलोग क्या कहते हो?' उन्होंने जवाब दिया कि 'इसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम ने हराम क़रार दिया है, इसलिए वह क़ियामत के दिन तक हराम है।' तब आपने फ़रमाया कि 'आदमी का दस औरतों से व्यभिचार करना, पड़ोसी की बीवी से व्यभिचार करने से ज़्यादा हल्का है।'

आप सअव् ने फिर सवाल किया कि 'तुम लोग चोरी के बारे में क्या कहते हो?' उन्होंने जवाब दिया कि 'इसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम ने हराम क़रार दिया है, इसलिए वह हराम है।' तब नबी ए करीम सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि 'आदमी दस घरों में चोरी करे, यह पड़ोसी के घर से चोरी करने से ज़्यादा हल्का है।' (मुस्नद अहमदः २३८५४, मज्म' अज़-ज़वाइद लिल-हैसमी: ८/१६८)

एक दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद सअव्. ने पड़ोसी की बीवी से व्यभिचार करने को सबसे बड़े गुनाहों में शुमार किया है। (सही मुस्लिमः ८६)

Name Change

I have change My name- FROM **MOHD. USMAN ABDUL HAMID** TO - **MOHAMMAD USMAN ABDUL HAMEED.**

My Residential Address is-
Near Dargah, Mujawarpura,
PATUR, Dist. AKOLA-444501
Mo. 7020359804

Name Change

I have change My name FROM **MD. NUMAN UL QADEER MOHAMMAD USMAN** TO **MOHAMMAD NUMAN UL QADEER MOHAMMAD USMAN**

My Residential Address is-
Near Chand Khan Plot, Near Kabrastan Masjid, Old City,
AKOLA–444002
Mo. 7620203285

अकोला पश्चिम के विधायक साजिद खान पठान का विधानसभा में सत्तापक्ष पर करारा प्रहार

भाजी बाजार के ७२६ दुकानदारों पर कार्रवाई का मुद्दा सदन में सबसे तेज़ गूंजा

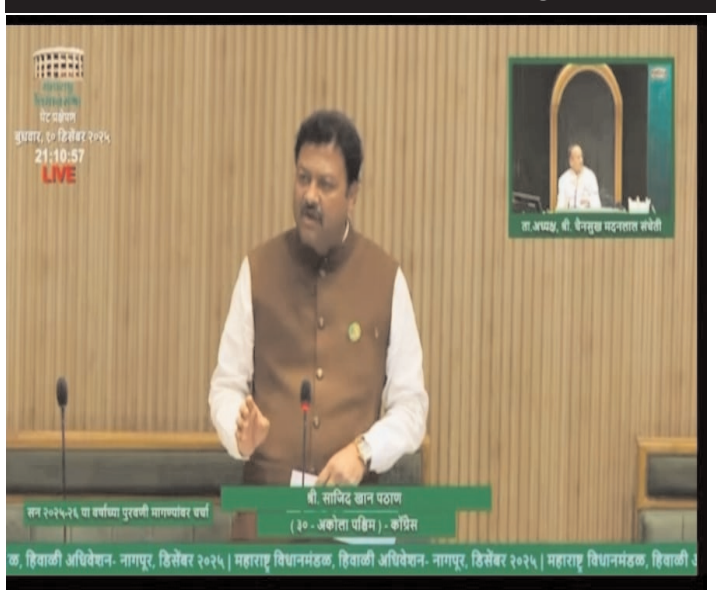

अकोला-

नागपुर में जारी शीतकालीन अधिवेशन के दौरान बुधवार का दिवस अकोला शहर के मुद्दों पर जमकर गरमाया। अकोला पश्चिम के विधायक साजिद खान पठान ने सदन में जिस मुद्दे को सबसे प्रखरता से उठाया, वह था—जनता भाजी बाजार के ७२६ दुकानदारों पर नगरपालिका द्वारा की गई कड़ी कार्रवाई और नोटिसों का मामला।

विधायक पठान ने सीधे सवाल उठाया कि 'क्या सरकार शहर के मेहनतकश व्यापारियों को उजाड़ने पर तुली है? ७२६ दुकानदार परिवार रोज़ीरोटी के संकट से जूझ रहे हैं, उनका भविष्य सरकार कब सुरक्षित करेगी?'उन्होंने कहा कि इन दुकानदारों को अचानक नोटिस थमाकर असुरक्षित स्थिति में धकेल दिया गया है। 'जनता भाजी बाजार में कई दशक से अपनी रोज़ीरोटी कमाने वाले छोटे व्यापारी आज सड़क पर आने की कगार पर हैं, सरकार की नीति आखिर क्या है?' उन्होंने सदन में तीखे स्वर में पूछा।

दानाबाज़ार का जख्म भी फिर उठा – हजारों की आजीविका पर पड़ा था असर

इसी के साथ उन्होंने तीन वर्ष पहले दानाबाज़ार में दुकानों का तोड़फोड़ कर हजारों लोगों की आजीविका छीन लेने की बात दोहराते हुए सरकार पर निशाना साधा। 'उजाड़ देना आसान होता है, मगर पुनर्वास कहाँ है?' यह सवाल उन्होंने सरकार की ओर फेंका।

अन्य मुद्दों पर भी प्रहार -

- मंदिर, एयरपोर्ट और गटर योजना फाइलों में अटकीसाजिद खान पठान ने बताया कि राजराजेश्वर मंदिर को 'बी वर्ग' दर्जा और ५० करोड़ की मंजूरी के बावजूद एक रुपया भी शहर को प्राप्त नहीं हुआ।
- अकोला हवाई अड्डे के लिए स्वीकृत २०९ करोड़ रुपये आज भी फंड रिलीज़ का इंतजार कर रहे हैं।
- उर्दू घर की मंजूरी तो दी गई, पर निधि का अता-पता नहीं।
- ७३५ करोड़ की गटर योजना पर निधि रोककर काम ठप कर दिया गया।
- दानाबाज़ार दुकानदारों पर लगाए गए अतिरिक्त कर को भी उन्होंने अन्यायपूर्ण बताया।

अकोला का सबसे बड़ा सवालः ७२६ दुकानदारों का भविष्य!

विधायक पठान ने चेतावनी के अंदाज़ में कहा कि जब तक अकोला के छोटे व्यापारियों को न्याय नहीं मिलता, वे सदन में आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। उन्होंने कहा, 'दुकानें तोड़ोगे, नोटिस दोगे, लोगों की रोज़ी छीनोगेष्ठ और फिर समाधान भी नहीं दोगे? अकोला यह अन्याय स्वीकार नहीं करेगा।'

अंत में उन्होंने स्पष्ट किया कि यह लड़ाई सिर्फ दुकानों की नहीं, बल्कि ७२६ परिवारों के अधिकार, सम्मान और भविष्य की है—और वह इसे अंत तक लड़ेंगे।

ऑपरेशन प्रहार में बड़ी कार्रवाई: स्थानीय अपराध शाखा ने नायलॉन मांजा रखने वाले आरोपी पर सदोष मानव वध के प्रयास का केस दर्ज

अकोला-

पुलिस अधीक्षक श्री अर्चित चांडक के निर्देशानुसार जिले में प्रतिबंधित नायलॉन (चायनीज) मांजा बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई के तहत 'ऑपरेशन प्रहार' के अंतर्गत स्थानीय अपराध शाखा ने आज बड़ी सफलता हासिल की है।

दिनांक ११ दिसंबर २०२५ को अपराध शाखा की टीम को प्राप्त पुख्ता जानकारी के आधार पर डाबकी रोड थाना क्षेत्र के खैरमहम्मद प्लॉट, रामपीर नगर में छापा मारा गया। छापेमारी में टीम ने १,००,००० मूल्य के १०० प्रतिबंधित नायलॉन मांजा के रोल जब्त किए।इस कार्रवाई में आरोपी अमीर खान आज़िज़ खान (३०), निवासी अकोला को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ डाबकी रोड पुलिस स्टेशन में धारा ११०, २२३, ३(५) बी.एन.एस. तथा पर्यावरण अधिनियम की धारा ४, ५, १५ के तहत मामला दर्ज किया गया है।

नायलॉन मांजा बन रहा लोगों की जान के लिए खतरा

शहर में प्रतिबंधित चायनीज मांजा का उपयोग पतंग उड़ाने के लिए किया जा रहा है, जिससे दोपहिया वाहन चालकों, पैदल यात्रियों तथा पशु-पक्षियों को गंभीर चोटें लगने की घटनाएँ सामने आ रही हैं। कई मामलों में यह जानलेवा साबित हुआ है। इसी खतरे को रोकने के लिए अकोला जिला पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि प्रतिबंधित मांजा बेचने या संग्रह करने वालों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।

अधिकारी एवं टीम की भूमिका

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, अपर पुलिस अधीक्षक बी. चंद्रकांत रेड्डी, तथा स्थानीय अपराध शाखा के निरीक्षक शंकर शेलके के मार्गदर्शन में की गई।

कार्रवाई करने वाली टीम में शामिल थे: पी.एस.आई गोपाल जाधव, माजिद पठान, एच.सी सुल्तान पठान, एच.सी कुशल नेमाडे, पीसी आकाश मानकर, पी.सी धीरज वानखेडे, मो. आमिर, पी.सी राज चंदेल और मनीष ठाकरे।

अकोला से गायब युवती की रहस्यमय गुमशुदगी का पुलिस ने किया पर्दाफाश

अकोला-

सिव्हिल लाईन पुलिस स्टेशन की टीम ने एक बेहद उलझे हुए मिसिंग केस को सिर्फ ७ दिनों में सुलझाकर २० वर्षीय युवती को सुरक्षित बरामद कर लिया। तांत्रिक माहिती, दिल्ली तक फैले हुए इंटेलिजेंस सोर्स और सतत शोध के दम पर पुलिस ने यह बड़ी सफलता हासिल की।

४ दिसंबर की दोपहर, सावंतवाडी रणपिस नगर में रहने वाली २० वर्षीय रुतुजा धार्मिक अचानक रहस्यमयी तरीके से घर से लापता हो गई। मां छाया धार्मिक ने जब दरवाज़े पर बाहर से लगी कड़ी खुली पाई और घर का काम करने वाली महिला तुळजाइ गवई अंदर आई—तभी पता चला कि रुतुजा घर में नहीं है। घबराई मां ने आस-पास खोजबीन की, पर कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद सिव्हिल लाइन थाने में मिसिंग रिपोर्ट क्रमांक १०५/२५ दर्ज हुई।

पुलिस टीम की बारीक जांच तकनीकी सुराग ने पकड़ी अमृतसर की दिशा जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को तांत्रिक माहिती और गुप्त बातमीदारों से संकेत मिले कि युवती अपने मित्र आर्यन सिंग महेशसिंग के साथ घर छोड़कर पंजाब की ओर निकल गई है।

दिल्ली-अमृतसर रूट पर लगातार ट्रैकिंग की गई। दिल्ली के स्पेशल सोर्स से भी जानकारी जुटाई गई।

७ दिनों की दमदार पुलिस मेहनत-युवती सुरक्षित बरामद

लगातार रात-दिन की मेहनत के बाद, पुलिस टीम ने युवती का लोकेशन सटीक ट्रेस किया और उसे सुरक्षित ताब्यात लेकर अकोला लाया। पूरी कार्रवाई में इन अधिकारियों-अमलदारों की महत्वपूर्ण भूमिका पोलीस अधीक्षक अर्चित चांडक, अप्पर पोलीस अधीक्षक रेड्डी साहेब ,उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुदर्शन पाटील (श.वि. अकोला) मार्गदर्शन, पोलीस निरीक्षक सौ. मालती कायटे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक महेंद्र शिंदे तथा अधिकारी-कर्मचारी : पोहे.कॉ. सपना वाघमारे, पोहेकॉ श्रीकांत आजलसांडे, पोकॉ शक्ती कांबळे, पोकॉ अक्षय तायडे, पो.कॉ. एकनाथ त्रिकाळ

रुतुजा के सुरक्षित मिलने से परिवार में राहत और पुलिस के प्रति आभार का माहौल है। सिव्हील लाईन पुलिस की यह सफलता दिखाती है कि तकनीक और सतत प्रयास मिलकर कितना बड़ा काम कर सकते हैं।

अकोला में १३-१४ दिसंबर को वहदत ए इस्लामी का दो दिवसीय तज़्किया इज्तेमा

अकोला-

वहदत ए इस्लामी महाराष्ट्र (पूर्वी ज़ोन) की ओर से आयोजित दो दिवसीय तज़्किया इज्तेमा का आगाज़ १३ और १४ दिसंबर २०२५ को अकोला शहर की नगीना मस्जिद में होने जा रहा है। आयोजन समिति के अनुसार यह कार्यक्रम क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक समागम माना जा रहा है, जिसमें इस्लामी शिक्षाओं के प्रचार-प्रसार, नैतिक मूल्यों के उत्थान और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

दो दिनों तक चलने वाले इस इज्तेमा में देशभर से कई प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान और उलेमा शामिल होंगे। विशेष वक्ता के रूप में जियाउद्दीन सिद्दीकी साहब (औरंगाबाद), मौलाना मुश्ताक फलाही साहब (अर्धापुर), अब्दुल वहाब मलक साहब (नागपुर) और बिस्मिल्लाह शेख़ साहब (पुसद) तशरीफ लाएँगे। ये सभी उलेमा कुरआन और हदीस की रौशनी में मौजूदा दौर की चुनौतियों, मुसलमानों के सामाजिक व आध्यात्मिक मसाइल और उनके समाधान पर मार्गदर्शन पेश करेंगे।

इज्तेमा के दौरान समाज सुधार, आपसी भाईचारे, चरित्र निर्माण, पारिवारिक जीवन में सुधार और इस्लामी मान्यताओं पर आधारित विशेष व्याख्यान भी रखे गए हैं। आयोजन समिति का कहना है कि यह कार्यक्रम न सिर्फ धार्मिक दिशा देगा बल्कि समाज में नैतिक जागरूकता बढ़ाने का भी एक बड़ा माध्यम साबित होगा। इस दो दिवसीय कार्यक्रम के मुख्य आयोजक शहज़ाद अहमद खान (अकोला) हैं, जिन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर इस्लामी शिक्षाओं से लाभान्वित हों। संपर्क हेतु मोबाइल नंबर ९३७२८१९७६४ जारी किया गया है।

अकोला में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा शरद पवार के जन्मदिन पर विविध उपक्रम; खिचड़ी वितरण व दरगाह पर चादर पेश की गई

अकोला-

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गुट) की ओर से पद्मविभूषण शरदचंद्र पवार के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अकोला शहर में विभिन्न सामाजिक उपक्रमों का आयोजन किया गया।

इन उपक्रमों के अंतर्गत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महानगर अकोला की तरफ से सरकारी अस्पताल में मरीजों के परिजनों को गरम खिचड़ी का वितरण किया गया। इसके साथ ही आगा शाह बाबा दरगाह में चादर चढ़ाकर शरद पवार के दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए विशेष दुआ की गई। इसके बाद आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता श्याम अवस्थी, महानगर अध्यक्ष रफीक सिद्दीकी, प्रदेश सचिव जावेद जकारिया महानगर कार्याध्यक्ष सय्यद यूसुफ अली, देवेंद्र ताले, अकोला पश्चिम के अध्यक्ष महमूद खान पठान, पूर्व नगरसेवक फरीद पहलवान, अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष वसीम खान, दिव्यांग सेल अध्यक्ष सालार भाई, तथा मोहम्मद शफीक, अमन घरडे, इब्राहिम भाई, वसीम सिद्दीकी, शाहिद सिद्दीकी सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। माननीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरदचंद्र पवार के जन्मदिन के अवसर पर यह उपक्रम आयोजित किया गया।

यह कार्यक्रम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, महानगर अकोला की ओर से आयोजित किया गया तथा महानगर अध्यक्ष रफीक सिद्दीकी की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

एक नजर

१०८ एम्बुलेंस सेवा ने राज्य के १ करोड़ १४ लाख नागरिकों को प्रदान की निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा

अकोला-

महाराष्ट्र आपातकालीन चिकित्सा सेवा की १०८ एम्बुलेंस राज्य के नागरिकों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। लगातार ११ वर्षों से 'डायल १०८ एम्बुलेंस' राज्य के लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करा रही है। इस स्वास्थ्य संजीवनी सेवा के माध्यम से अब तक १,१४,४७,२९६ रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है। यह सेवा सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग और भारत विकास समूह के संयुक्त प्रयास से राज्य में निरंतर संचालित है।

वर्तमान में राज्य में कुल ९३७ एम्बुलेंस कार्यरत हैं। इनमें एडवांस लाइफ सपोर्ट और बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रकार की एम्बुलेंस शामिल हैं। एम्बुलेंस में पल्स ऑक्सीमीटर, मेडिकल ऑक्सीजन जैसी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध हैं। यह देश की एकमात्र सेवा है जो २४ घंटे डॉक्टरों और अत्यावश्यक चिकित्सा सुविधाओं के साथ कार्यरत है। ५ दिसंबर तक राज्य में १०८ एम्बुलेंस के माध्यम से ५,४४,२२४ दुर्घटना पीड़ितों को उपचार हेतु अस्पताल पहुँचाया गया है। इसके अलावा ३१,९२७ अग्निकांड मामलों में, १,०३,८८९ हृदय रोग मामलों में, १,५९,५५१ ऊँचाई से गिरकर घायल हुए रोगियों में, २,६७,४७४ विषाक्तता मामलों में, १७,९६,६५५ प्रसूति मामलों में तथा ७,३९९ विद्युत आघात/बिजली गिरने से घायल हुए रोगियों को सेवा प्रदान की गई है।इस प्रकार १०८ सेवा के माध्यम से राज्य में कुल १,१४,५८,३१६ रोगियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान की गई है।विदर्भ के गोंडवाना क्षेत्र के गढ़चिरोली, चंद्रपुर, यवतमाल, नागपुर, गोंदिया, भंडारा और अमरावती जैसे आदिवासी बहुल जिलों में से कुल १,३८,६६५ नागरिकों ने इस निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठाया है।

महाराष्ट्र आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू होने के बाद से अब तक ४१,५१६ बच्चों का जन्म १०८ एम्बुलेंस के भीतर हुआ है। इसके साथ ही १७,९५,२९२ गर्भवती महिलाओं को सफल चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है। संक्षेप में, १०८ एम्बुलेंस सेवा आम नागरिकों के लिए अमृतवाहिनी बन रही है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश की घटनाएँ अक्सर होती रहती हैं। सर्पदंश से पीड़ित १,१९,८२४ नागरिकों ने १०८ एम्बुलेंस सेवा का लाभ लिया है। इनमें से अधिकांश रोगी ग्रामीण एवं किसान वर्ग से संबंधित हैं।

गौरक्षा रोड पर क्रोमा शोरूम के बाहर यातायात विभाग की कार्रवाई, अव्यवस्थित पार्किंग पर जैमर लगाकर जुर्माना

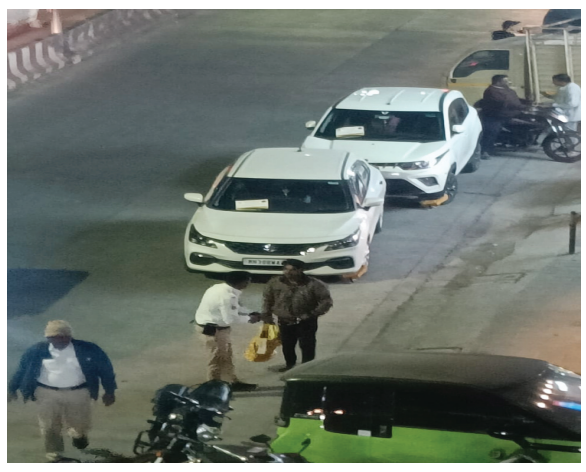

अकोला-

शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के प्रयास में, अकोला के यातायात पुलिस विभाग ने शुक्रवार शाम को गौरक्षा रोड पर एक सख्त अभियान चलाया। यह कार्रवाई क्रोमा इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम के सामने की गई, जहाँ ग्राहकों द्वारा अक्सर सड़कों पर ही चार पहिया वाहनों को लापरवाही से खड़ा कर दिया जाता था, जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी।

गौरक्षा रोड जैसे व्यस्त मार्ग पर सड़क के किनारे वाहनों की बेतरतीब पार्किंग के कारण यातायात जाम और पैदल चलने वालों के लिए मुश्किलें पैदा हो रही थीं। यातायात पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का निर्णय लिया। कार्रवाई के दौरान, यातायात पुलिस दल ने उन सभी चार पहिया वाहनों को चिह्नित किया, जो नो-पार्किंग जोन में या सड़क पर अनुचित तरीके से खड़े थे। नियमों का उल्लंघन करने वाले इन वाहनों के पहियों में तुरंत जैमर लगा दिए गए।

मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने वाहन मालिकों को सूचित किया कि उन्हें यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित जुर्माना भरना होगा। जुर्माना भरने के बाद ही उनके वाहनों से जैमर हटाए जाएंगे। इस कार्रवाई का उद्देश्य वाहन चालकों को पार्किंग नियमों के प्रति जिम्मेदार बनाना और सड़कों पर व्यवस्था बनाए रखना था। यातायात विभाग ने शहर के नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे हमेशा अपनी गाड़ियों को केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सड़कों पर अव्यवस्थित पार्किंग को रोकने और शहर के यातायात को सुचारु एवं सुरक्षित बनाने के लिए भविष्य में भी इस प्रकार की औचक कार्रवाई जारी रहेगी।